

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.-294/2023**

IN THE MATTER OF:

PRASOON PANT & ANR.

....APPLICANT(s)

VERSUS

UPPCB & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE ORDER DT.23.08.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/1	
3.	COPY OF THE NEWSPAPER PUBLICATION DT. 11.09.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/2	
4.	COPY OF THE SEALING REPORT AND CLOSURE ORDERS OF THE DEFAULTER UNITS ATTACHED AS ANNEXURE A/3	
5.	COPIES OF THE SHOW CAUSE NOTICES ATTACHED AS ANNEXURE A/4 (COLLY)	

6.	COPY OF THE ORDER DT. 10.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/5	
7.	COPY OF THE LETTER DT. 18.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/6	
8.	COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DT. 17.01.2025 ATTACHED AS ANNEXURE A/7	
9.	COPY OF THE ORDER DT. 03.09.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/8	
10.	COPY OF LETTER DT. 17.01.2025 ATTACHED AS ANNEXURE A/9	

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON

COUNSEL FOR UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 16.04.2025

PH- 9639286572

PLACE: GHAZIABAD

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.-294/2023



IN THE MATTER OF:

PRASOON PANT & ANR.

....APPLICANT(s)

VERSUS

UPPCB & ORS.

...RESPONDENT(s)

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DT. 23.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL

I, Vikas Mishra, aged about 45 years, S/o Shri G.S. Mishra, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, presently at Ghaziabad, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present report.
2. That I state that the contents of the report have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That in the present matter, the Applicant has raised compliant against Hospitality Establishments like restaurants, hotels, malls, operating in

24 JAN 2025



District Ghaziabad without obtaining requisite consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

4. That the above captioned matter was last listed for hearing before this Hon'ble Tribunal on **23.08.2024**. That on the said date, the Hon'ble Tribunal proceeded to adjudicate upon the issues raised in the Original Application and, after due consideration of the facts and circumstances, disposed of the Original Application and had directed as under:

“23. In respect of the orders of Environmental Composition already passed by the UPPCB, we clarify that these orders are appealable under the relevant Statutes. Therefore, the aggrieved persons may avail such statutory remedy in accordance with law and this order shall not affect those orders already passed. However, in respect of the closure orders already passed, but later consent has been obtained, appropriate order to enable the such proponents to operate shall be passed by the competent authority of UPPCB in accordance with law without any further delay.

24. A compliance report shall be filed by UPPCB showing status as on 31.12.2024 by 15.01.2025 before Registrar General of this Tribunal and if any further order is required, the matter shall be placed before the Bench concerned.

25. With the above directions/observations, this Original Application is disposed of.”

A Copy of the Order dt.23.08.2024 has been attached herein as Annexure A/1.

5. That it is respectfully submitted that in compliance of the above mentioned directions, a public notice dt. 11.09.2024 was issued by Uttar Pradesh

24 JAN 2025



Pollution Control Board (herein referred to as "UPPCB") in a local newspaper ("Dainik Jagran"), calling upon all project proponents to apply for consent who have not yet obtained the requisite Consent To Operate from UPPCB. The said notice categorically stated that due to the lack of awareness among certain proponents, a final opportunity of three months has been granted for compliance. That post expiry of the said period, any proponent operating without valid consent shall be subjected to immediate closure by the UPPCB. That with respect to the same it is also stated in the said publication that the UPPCB will issue closure orders and recover environmental compensation.

A Copy of the Newspaper Publication dt. 11.09.2024 has been attached herein as Annexure A/2.

6. That in strict compliance with the aforementioned directions dt. 23.08.2024 and in adherence to the Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines, the UPPCB conducted a comprehensive survey of eateries/restaurants with a minimum seating capacity of 36 persons, along with hotels, banquets, and malls operating within District Ghaziabad. That pursuant to the survey, the following status of identified establishments has been ascertained:

Sr. No.	Particulars	No. of Units.
I.	Number of Units having valid Consent to Operate (CTO) under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	83

24 JAN 2025




II.	Number of units lacking CTO but covered under Arti Vs. CGWA & Ors. (O.A. No. 438 of 2018) In Re: M/s Hotel Rishabh & Ors. Vs. Arti & Ors. (Civil Appeal Diary No(s). 25711/2023), wherein the Hon'ble Supreme Court vide order dated 22.09.2023 has stayed the implementation of the Tribunal's order dated 17.10.2022	52
III.	Permanently closed units	03
IV.	Defaulter units not having CTO under The Water Act, 1974 and The Air Act, 1981	27
V.	Total number of units identified	165

7. That furthermore it is pertinent to mention that actions have been taken by UPPCB against **27 defaulter units** (excluding those covered under O.A. No. 438 of 2018, In Re: Arti vs. CGWA & Ors.) that have failed to obtain the requisite Consent to Operate. That these units have been subjected to closure orders and other punitive measures in accordance with Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The detailed status of these units is as under:

I. Closure Orders Issued Against 23 Units:

That show cause notices were issued against 23 units and with respect to non-compliance of the said notices closure orders were issued under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. That their operations have been halted through electricity disconnection and sealing of DG sets, carried out by the joint committee constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.

24 JAN 2025



A Copy of the sealing report, show cause notices and closure orders of the defaulter units has been attached herein as Annexure A/3.

II. Status of Other Two Units

- (i) M/s Hotel SOHO (Previously known as M/s Vizima Hospitality LLP) – That a show cause notice dated 19.08.2024 was previously issued to M/s Vizima Hospitality LLP. It is pertinent to note that the said unit has since been rebranded as M/s Hotel SOHO. Consequently, another show cause notice has been out rightly issued to the newly named entity on 20.01.2025.
- (ii) M/s Party Shine – That a show cause notice dated 16.08.2024 was issued to the said unit. However, upon bare perusal of the present inspection conducted on 22.01.2025, it was out rightly observed that the said unit is vacant.

Copies of the show cause notices have been attached herein as Annexure A/4.

III. Closure order Set Aside by NGT in M/s. Swaad-E-Punjab Vs. State of U.P & Ors. (Appeal No. 44/2024)

That a closure order dt. 13.08.2024 was issued against M/s. Swaad-E-Punjab (previously Happy Punjab) under Section 33A of the Water Act, 1974. That the closure order has been set aside by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) vide order dated 10.12.2024 in Appeal No. 44/2024. That in compliance of the order

24 JAN 2025



dt. 10.12.2024 a letter dt. 18.12.2024 was issued to the Chief Environment Officer, UP Pollution Control Board, Lucknow to take necessary actions and to issue show cause notice to the concerned unit. In furtherance of the same a show cause notice dt. 17.01.2025 was issued by UPPCB to M/s Swaad-e-Punjab.

A Copy of the Order dt. 10.12.2024 has been attached herein as Annexure A/5.

A Copy of the letter dt. 18.12.2024 has been attached herein as Annexure A/6.

A Copy of the show cause notice dt. 17.01.2025 has been attached herein as Annexure A/7.

IV. Revocation of Closure Order - M/s. Pind Baluchi (Writ-C No. 7543/2024)

That a closure order dt. 13.08.2024 was issued against M/s. Pind Baluchi, Shop No. 303, Panchsheel Square, Plot No. C3, Crossing Republic Village, Dundahera, Ghaziabad-201016, under Section 33A of the Water Act, 1974, along with an environmental compensation of Rs. 1,42,64,712/- (Rupees One Crore Forty- Two Lakhs Sixty Four Thousand Seven Hundred and Twelve Only). That the Hon'ble High Court of Allahabad, vide order dated 03.09.2024 in Writ-C No. 7543/2024, has granted a stay on the environmental compensation. That in compliance of the abovementioned directions a revocation letter dt.17.01.2025 was issued to M/s Pind Baluchi with respect to the revocation of the closure order dt. 13.08.2024.

A Copy of the Order dt. 03.09.2024 has been attached herein as Annexure A/8.

A Copy of the letter dt. 17.01.2025 has been attached herein as Annexure A/9.

24 JAN 2025



8. That it is respectfully submitted that the UPPCB has acted in strict compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal and has taken necessary enforcement actions, including issuance of closure orders and show cause notices against the defaulter units.
9. Hence, the compliance report has been submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.
10. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 16th day of April, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

24 JAN 2025



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

Item No.12

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 294/2023

Prasoon Pant & Anr.

Applicant(s)

Versus

UPPCB & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 23.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Rahul Choudhary and Ms. Shreepurna Dasgupta, Advocates for Applicant

Respondent: Mr. Pradeep Misra, Advocate for Respondent No. 1 - UPPCB (through VC) with Mr. Vikas Mishra, RO, UPPCB.
Mr. Amit Singh Chauhan, Ms. Tejaswini Chandrasekhar and Ms. Shaima Masood, Advocates for Respondent No. 2 (through VC).
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harsh Vardhan Singh Rajawat and Mr. Devesh Pratap Singh, Advocates for Respondent No. 3.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for Respondent no. 5.
Mr. Vibhav Mishra, Advocate for Respondent No. 6 (through VC).
Mr. Vinit Kumar Jha, Proxy Counsel for Mr. Sidharth Joshi and Mr. Shubham, Advocates for Respondent No. 7.
Mr. Shambho Nandy and Ms. Anoushka Dey, Advocates for Respondent No. 10.
Mr. Kartik Nagarkatti and Ms. Aditi Shama, Advocates for Respondent No. 20.
Mr. Niraj kumar and Ms. Shubhnganda Singh Advocate for Respondent No. 27.
Mr. Adesh Kumar, Advocate for Respondents no 52, 55, 58 & 60
Mr. Raj Kumar, Advocate for Respondent No. 68.
Mr. Ashok Kumar, Mr. Mr. Sumit Mudgal, Mr. Madhav Singh and Ms. Manisha Sharma Advocates for Respondent No. 84.
Mr. Aviral Pandey, Advocate for Rajpath Residency
Mr. Sunil Kumar Gupta and Ms. Chandni Kumari, Advocates for Respondents No. 88, 121, 129, 134, 140, 141 and 143.
Mr. Shubham Budhiraja, Ms. Prakriti Rastogi and Mr. Azad Bansala Advocates for Respondent No. 104
Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Respondent No. 125.
Adv Vinita Raghav for the respondent no.126
Mr. Nishant Srivastava and Mr. Aman Vashishth, Advocate for Respondent No. 133.
Mr. Dilip Agarwal, Advocate for Respondent No. 138 Elara Banerjee.

ATTESTED

24 JAN 2025

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)



ORDER

1. This original application was instituted by Prason Pant and Pradeep Kumar, applicants, under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') raising a complaint against Hospitality Establishments like restaurants, hotels, malls, operating in District Ghaziabad without obtaining requisite consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as '**Water Act, 1974**') and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter referred to as '**Air Act, 1981**').


2. The applicant initially impleaded respondents 7 to 27, which are some of the hotels, restaurants and malls, and according to the applicants, were functioning without obtaining consent under the aforesaid Statutes.

3. Applicant stated that Ghaziabad is classified as 'critically polluted area' by Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as '**CPCB**'), based on Comprehensive Environment Pollution Index and one of the 'non-attainment cities', wherein level of PM₁₀ from industrial and vehicular sources is amongst the highest in the country. Respondent 7 to 27 are hospitality entities running full fledged, eateries, restaurants, etc. and within the purview of directions given by this Tribunal vide order dated 04.02.2021 in *O.A 400 of 2017, Westend Green Farm Society versus Union of India and others.*, wherein CPCB was asked to come up with a set of directions for complying with environmental norms by such eateries, hotels, banquets, food joints and restaurants. Under the guidelines of CPCB, individual eateries and restaurants on road sides with a minimum seating capacity of 36 people and also running

ATTESTED

24 JAN 2025

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)




hospitality destinations such as hotels, banquets and malls, etc, or otherwise, are required to seek and obtain consent under the above Statutes from UP Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB') in addition to a host of other environmental authorizations. As most of these establishments have food courts and restaurants, being in their nature of business, these dining-out outlets are required to have environmental clearances as directed by Tribunal in aforementioned OA. The 21 hospitality establishments impleaded in the application are in violation of the CPCB and UPPCB directions framed in the wake of NGT order in the aforementioned OA, as these do not have an NOC of State Pollution Control Board. Being in the vicinity of national capital, hospitality industry of Ghaziabad has a high footfall of around 40-50 lakhs people a month that could be generating lots of air and water pollution and misuse of already stressed resources, such as groundwater. Hence, it becomes all-the-more important that business establishments strictly follow the environmental norms.

4. Tribunal being *prima facie* satisfied that a substantial question relating to environment has arisen due to implementation of enactments is specified in schedule 1 to NGT Act, 2010, found it appropriate to issue notices initially only to respondents 1 and 2 requiring them to file their responses.

5. UPPCB through Regional Officer, Ghaziabad submitted its status report dated 05.07.2023 giving status of 20 banquets, hotels and malls with regard to 'consent' as under:-

“

SL. No	Name of the premises	Status of NOC/Consent	Remarks




ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1.	Hotel Golden Tulip C-5, Sector — 18, Vasundhara	Yes, upto 31-07-2023 (Annexure-1)	
2.	M/s Silver Spoon C-7, Sector — 18, Ghaziabad	Yes, upto 31-07-2025 (Annexure-2)	
3.	Hotel crystal palace 2163, sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad	No consent	
4.	Hotel R.K. Residency, 2159, opp. Awas Vikas Complex, Sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad	Yes, upto 31-07-2024 (Annexure-3)	
5.	Hotel Mukut Regency, CC-1, Sector — 13, Vasundhara, Ghaziabad	Yes, upto 31-03-2027 (Annexure-4)	
6.	Hotel Vintage Banquet, CP-5, Sector — 9, Vasundhara, Ghaziabad	No consent	
7.	Jaipuria Mall Ahinsa khand — 1, Indirapuram, Ghaziabad	No Consent	
8.	Eros Mall, Shakti Khand — 2 Indirapuram Ghaziabad	No consent	
9.	Hotel Banana Tree Plot No. Alpha, site — 4 Sahibabad, industrial area, Ghaziabad	Yes upto 31-07-2028 (Annexure-5)	
10.	Hotel Sunshine park, D-1, Chander Nagar Ghaziabad	No Consent	
11.	Galaxy mall, 64/5, Site — 4 Sahibabad, Ghaziabad	No consent	
12.	M/s Hollywood Dreams, Sector — 4, Vaishali, Ghaziabad	Yes , upto 31-3-2025 (Annexure-6)	
13.	Clarks Inn, 41, Kaushambi,	No consent	
14.	EDM mall, plot — 1, Kaushambi, Ghaziabad	Yes upto 31-07-2023 (Annexure-7)	
15.	Mahagun Metro mall plot — 1, VC-3, Sector 3F, Gautam Palvi road,	No consent	
16.	Vaishali Inn, 339A, Sector — 4, Vaishali, Ghaziabad	No consent	
17.	Signature Global Mall, Plot No. -6, Sector — 3, Vaishali, Ghaziabad	Yes, upto 31-07-2023 (Annexure-8)	
18.	Shoprixx Mall, Plot -1, Kaling	No consent	
19.	Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad	No consent after 2014	
20.	Hotel Clarks Inn by apple tree, C-2, RDC, Ghaziabad	No consent	Hotel has started the conversion to commercial office

6. It is also stated that in the matters where consent has not been obtained, notices have been issued to violators under Section 25/26 of Water Act, 1974 and Section 21 of Air Act, 1981 on 26.06.2023 requiring them to comply the mandatory provisions.



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

7. Further reply has been filed by CPCB vide email dated 04.09.2023 stating that, if there is violation of environmental statutes, action has to be taken by concerned Regulators in respective States/Union Territories in accordance with law. It is also said that CPCB has issued guidelines titled as **'Mechanism/ Guidelines for Control of Pollution and Enforcement of Environmental Norms at Individual Establishments and the Area/Cluster of Restaurants/Hotels/Motels/Banquets, etc.'** in compliance of Tribunal's order dated 19.09.2019 in *O.A 400 of 2017, Westend Green Farm Society vs. Union of India and others*. Copy of the said guidelines are on record as annexure-6, page 53 of the paper book.

8. Above responses and reports were considered by Tribunal on 04.09.2023 wherein it was observed that certain establishments were operating without requisite statutory consent and there was clear violation but no effective action was taken by UPPCB without any valid reason.

9. Looking to the issues raised in the matter and also seriousness thereof, Tribunal directed UPPCB to conduct a survey and file additional status report giving specific information with regard to the following aspects:

- (i) **Number of malls, hotels, eateries and restaurants operating in District Ghaziabad** required to obtain EC from SEIAA, if applicable and/or CTE/CTO from UPPCB with detailed particulars regarding name, location, boundaries, area etc.;

ATTESTED
(Gandeep Sharma)
Reg. No. 1138/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



24 JAN 2025

- (ii) Number of such malls, hotels, eateries and restaurants operating in District Ghaziabad which have not obtained EC, if applicable from SEIAA and/or CTE/CTO from UPPCB; and
- (iii) Details of Action Taken against such malls, hotels, eateries and restaurants operating in District Ghaziabad which have not obtained EC, if applicable, from SEIAA and/or CTE/CTO from UPPCB.

10. Pursuant to above order, UPPCB filed its status report dated 30.09.2023 stating that besides 21 establishments in respect whereof information was already given, 82 more sites were surveyed by the officials of UPPCB, whereof 24 have valid Consent to Operate and 58 have been issued notices to show cause as to why Environmental Compensation may not be imposed. List of 82 establishments is given in Annexure-3 to the report and their current status with regard to consent is given as under:-

“


Sr. No.	Name of Hotels	Consolidated Consent Status	Action Taken
1.	Mahagun Sarovar Portico Suites-A Sarovar Hotel VC3 sector 3, Mahagun Metro Mall, Vaishali, Ghaziabad-201010	Yes	No Action required.
2.	Fortune INN Grazia Ghaziabad Plot No.1 Sanjay Nagar Distt. Centre, Sector 23, Ghaziabad-201002	Yes	No Action required.
3.	Hotel Krishna Sagar NH24, A-1/1, Udyog Kunj, Near Ryan International School, Ghaziabad-	Yes	No Action required.
4.	OYO 1299 Hotel Mukut Regency CC-1 Sector 13, Vasundhara, Ghaziabad-201012	Yes	No Action required.
5.	OYO 1391 Hotel Pushpa Vilas, Plot No. 584, Near Pushpanjali Crosslay hospital, Sector 1, Vaishali, Ghaziabad-201010	Yes	No Action required.



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)


6.	Hotel Krishna Sagar C-48, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201001	Yes	No Action required.
7.	Hotel Kohinoor Palace SK No.41-8, Site-IV, Link Road, Sahibabad, Ghaziabad-201010	Yes	No Action required.
8.	Oyo 8349 Hotel crown Palace Plot No. 1358-5, Vasundhara Sector 5, Ghaziabad-201012	Yes	No Action required.
9.	Country Inn and Suites by Radisson, Sahibabad 64/6, Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad-201010	Yes	No Action required.
10.	Royal Park Hotels & Resorts Shakti Khand - 1/209, Indirapuram, Ghaziabad-201010	Yes	No Action required.
11.	The Tarang, 23, SDC, Sector-23 Main ALT Road, Ghaziabad-201002	Yes	No Action required.
12.	The Rurban Village, 36 K.M. From Akshardham, N.H. 58, Delhi Meerut Road, Upper Ganga Canal Road, Gangnaha Village Badka Arifpur, Muradnagar, Ghaziabad-201206	Yes	No Action required.
13.	M/s. KW Delhi-6, NH-58, Bypass Raj Nagar Extension, Ghaziabad	Yes	No Action required.
14.	Red Carpet Grand, Plot No. 544, adjacent to G.D. Goenka Public School, Sehani Khurd, Raj Nagar Extension, Ghaziabad	Yes	No Action required.
15.	CH BHEEM SINGH FARM HOUSE (B S FARAM HOUSE) KIL.NO. 75, 100 FUTTA ROAD, NAND GRAM ROAD, NEAR RAATE MANDI, GHAZIABAD, GHAZIABAD	Yes	No Action required.
16.	Bikanervala Foods Pvt. Ltd. Shop No. 1 & 2, KSN Square, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-5, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012	Yes	No Action required.
17.	TAKSHILA FOODS PVT LTD, Plot No.12, Sector-5 Rajender Nagar Ghaziabad, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005	Yes	No Action required.
18.	Haldiram Ethnic Foods Pvt Ltd, Plot No. CP-04, Sector 11, Vasundhara, Ghaziabad Tahsil, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201011	Yes	No Action required.
19.	Haldiram Ethnic Foods Pvt Ltd, D-12&D-12A RDC, Raj Nagar, Ghaziabad, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-14, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201002	Yes	No Action required.
20.	Burgerking India Pvt. Ltd., GF and FF, Plot No. 10, Rajender Nagar, Sector-5, G.T. Road, Ghaziabad-201005., Ghaziabad, Uttar Pradesh -201005	Yes	No Action required.
21.	BIKANERVALA FOODS PVT.LTD., Khasra No-575, Village Sikri Kalan, Delhi Meerut Road Modinagar, Ghaziabad (UP), Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201204	Yes	No Action required.



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

22.	Burger King India Private Ltd, Unit No-D-31,Raj Nagar District Center, Ghaziabad,, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001	Yes	No Action required.
23.	M/s. Gaur Mall, A-1 to A-4, RDC,,Opp. HDFC Bank, Raj Nagar, Ghaziabad.	Yes	No Action required.
24.	Le Crescent, Plot no-14a, Mall road, Near DPS school, old building, Ahinsa khand-2, Indirapuram, OPOSIT CLOUD 9, Ghaziabad	Yes	No Action required.
25.	Hotel Frank INN, 13, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
26.	Rousha INN, D-81, Kaushambi, Near metro station, Kaushambi, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
27.	Hotel Parth INN, C-1, Govindpuram, Hapur road, Ghaziabad-201013	No	EC Imposed
28.	Hotel Samrat Kaushambi D24 Kaushambi, Ghaziabad-212207	No	EC Imposed
29.	OYO 12764 Grand INN, 4/353, Behind Rawal Pindi Jewellers, Main Market Sector 4, Vaishali, Ghaziabad-201014	No	EC Imposed
30.	Hotel 12807 Amaira Hotel and Banquets 1, Plot No. 1, Village Praladhgari, Vasundhra Ghaziabad-201012	No	EC Imposed
31.	OYO 9301 Hotel RedBury Kalka Garhi Chowk, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
32.	AT Residency, D-75, Kaushambi, Opp. Pacific Mal, Near Anand Vihar Metro Station, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
33.	OYO 421 One Hotel, 653/1, Shakti Khand, 3rd, Nehar Road, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
34.	OYO 13576 Hotel Residency, 7171 Gupta colony, GT road, Near Ramte Ram Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
35.	OYO 13758 XS Residency E3Dr Bhabha Marg, HIG Flats, Chander Nagar, SuryaNagar, Ghaziabad-201011	No	EC Imposed



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

36.	OYO 10591 Hotel Parktel 583, Vijay Iaxmi Pandit Marg, Near Omaxe Plaza, Shakti Khand 2, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
37.	OYO 11407 Hotel Royal King 171, 14D, 132, Ehsaan Ali, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
38.	OYO 11452 Golden Castle Lodge 11, KH No. 1/11, Indirapuram, Niti Khand I, Ghaziabad-201014	No	EC Imposed
39.	OYO 12833 Century Grand 6, Wazirabad Road, Near Bhopura Chowk Petrol Pump, Sahibabad, Ghaziabad-201005	No	EC Imposed
40.	OYO 9178 Hotel New Central Park, Plot No. D-36, Kaushambi, Behind Kaushambi Metro Station, Ghaziabad- 201010	No	EC Imposed
41.	OYO 947 Hotel Palazzo Di Lara Plot No 11-12, Sector-3, Near gate No.1 of Mahagun Metro Mall, Vaishali, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
42.	Hotel Taru INN 306-307, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
43.	Hotel Krishna Sagar C-48, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
44.	Maiden Residency, 344/1, Pandav Nagar, Near Hospital Columbi Asia, Ghaziabad- 201002	No	EC Imposed
45.	Hotel Minar, 12/13 Chhoti Bazaria, Railway Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
46.	Hotel Grand Tushar Chaudhary More, GT Road, Ghaziabad-201001		EC Imposed
47.	Hotel Shri Drona, 160, Main NH-24, Khora Colony, Adarsh Nagar, Opp. Indirapuram, Ghaziabad-201014	No	EC Imposed
48.	Hotel Raghav, 343-A, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
49.	Hotel Prithvi Palace, 2 E 221, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001		EC Imposed



ATTESTED
 (Sandeep Sharma)
 Reg. No. 1136/98
 NOTARY PUBLIC
 Ghaziabad (U.P.)

50.	Hotel Imperial, 171, Railway Road, Opp. Police Chowk, Bazaria, Ghaziabad-201001		EC Imposed
51.	Rajpath Residency, D-31, Kaushambi, EDM Mall road, Opp. Anand vihar rail Station, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
52.	Hotel Parth Paradise, B-18, Surya Nagar, Opp. Vivek Vihar, Delhi NCR, Ghaziabad-	No	EC Imposed
53.	West View Hotel, 106, Modeltown, G.T. Road, Near Navran Cinema, Model Town, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
54.	Redbury Hotel, B3Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
55.	Hotel Blue Stone, Plot No. 5, Sec-14, Near Seemant Vihar, Kaushambi, Ghaziabad- 201010	No	EC Imposed
56.	Hotel Tushar Elegant KM-35, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002	No	EC Imposed
57.	Madhu Regency, I1-M-69, Nehru Nagar Society, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
58.	Hotel Supreme, 126.127 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
59.	Hotel Shubham, City.20, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
60.	Hotel ShardaGhaziabad, 21 Old Munsfi Road, Navyug Market, Naya Ganj, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
61.	Hotel Heaven, Near Truck Union, GT Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
62.	Hotel Embassy, 166 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
63.	Darshan Hotel, Plot No. 240, Adarsh Nagar, Khora Colony, Opp Indirapuram, Ghaziabad-201014	No	EC Imposed



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

64.	Bharat Guest House, 6-1, Surya Nagar, Near No Raghunath Mandir, Ghaziabad-201011	No	EC Imposed
65.	Hotel Marina, 162, Railway Road, Bazaria, No Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
66.	Hotel Aashiyana, 160 Rahmed Ali Compound No Railway Road, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
67.	City Lodge, 198, Kallupura, Maliwara Chowk, No Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
68.	Hotel Quizz @ railwaystation (1 Min Walking distance), 16 Railway Road, Bazaria, (Near Ghaziabad Railway Station) Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
69.	OYO 13602 Hotel The Town House, B-21-22, RDC Rajnagar, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
70.	Swiss Hotel, GT Road Near Opulent Mal Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
71.	Ace Manor Hotel, 28/1/5-6, Sahibabad Indu trial Area Site 4, Ghaziabad-201010	No	EC Imposed
72.	Hotel Elite, Ghanta Ghar, Railway Road, Plot No 343 Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
73.	Yash Guest House Ghaziabad, R-115, Vakil Colony, Pratap Vihar, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
74.	Heritage inn Ghaziabad, D-2, Rampuri, Near Surya Nagar, (Near B Block Rampuri Park) Ghaziabad-201011	No	EC Imposed
75.	BLACK STONE HOTEL, Plot No 378 Main Link Road, Vasundhara Sector 16, Opposite Reliance Euro Park Ghaziabad-201012	No	EC Imposed
76.	OYO 12123 Hotel Sweet Dreams,01, National Highway 24, Lal Kuan,Near Radha Krishna Public School, Lal Kuan, Ghaziabad-201009	No	EC Imposed
77.	CITY HOTELS & BANQUETS, II M-68, Nehru Nagar, Opp. Nehru Yuva Kendra, Ambedkar Road, Near Old Bus Stand, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
78.	OYO 9750 Hotel Atithi, 156/157, Ahasan Ali Compound,Railway Road Bazaria, Ghaziabad-200101	No	EC Imposed



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

79.	Aggarwal Lodge, Shop No-159 Ehsan Ali Compound Railway Road, Bazaria Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
80.	Hotel shiva, Khasra No.161, G.T. Road, Lal Kuan, Chipyana, Ghaziabad-201001	No	EC Imposed
81.	Hotel Metro 1, A40, Block A, Lohia Nagar, Ghaziabad- 201001	No	EC Imposed
82.	GOOD LUCK RESORT, Good Luck Resorts Reliance Road, Jindal Nagar NH-24, 201002	No	EC Imposed

11. Tribunal thereafter vide order dated 03.10.2023, issued notices to respondents 3 to 27 requiring them to file their reply. It also observed that Environmental Compensation sought to be imposed by UPPCB on 58 proponents was not consistent to the magnitude of capital investment/ assets required for operations to be carried out by those establishments etc. and therefore direction was given to revisit the same. Further, Tribunal directed to include 58 non-compliant proponents as respondents 28 to 85 vide order dated 19.12.2023.

12. UPPCB further submitted report in which details of 67 more units were given. They were impleaded as respondents 86 to 152 vide order dated 12.03.2023.

13. Presently, a status report dated 20.08.2024 has been filed by the UPPCB stating that out of 146 units i.e. respondent 07 to 152, 51 have valid consent under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 and complying with the environment statutes. Details thereof are as under:-

“

Sr. No.	Name and Address	Respondant No.	Capacity	Status of CTO




ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025


1	Mahagun Metro Mall Gautam Palvi Road, Sector 3F, Vaishali, Ghaziabad, - 201001	7	Shopping Complex/Mall	Issued on 23.06.2022, Valid upto 31.12.2026
2	Surya Merchant Limited (Shopprix Mall), Kaling Marg, Sector 5, Vaishali, Ghaziabad-201001	8	Shopping Complex/Mall	Issued on 20.08.2024 Valid upto 31.07.2025
3	Ansals Plaza Mall, Opposite Dabur Chowk, Vaishali, Ghaziabad Email: ahl@ansals.com	9	Shopping mall and Hotel	Issued on 26.12.2023, Valid upto 31.07.2027
4	Jaipuria Mall, Ahinsa Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad. E-mail: info@jaipuria.com	10	Shopping Complex/Mall	Issued on 06.04.2024 Valid upto 31.07.2028
5	EDM Mall, Plot No. 1, Kaushambi, Ghaziabad, UP - 201001, E-mail: info@eastdelhitmall.com	12	Shopping Complex/Mall	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2026
6	Silver Spoons, C7, Vasundhara, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	13	BANQUET HALL FOR 800 PERSONS WITH	Issued on 19.03.2021, Valid upto 31.07.2025
7	Golden Tulip, C-5, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	14	Hotel-160 Rooms	Issued on 12.08.2023, Valid upto 31.07.2026
8	Vintage Banquets, CP-5, Sector 9, Vasundhara, 201012, Ghaziabad, UP, E-mail: info@vintagebanquets.com	15	BANQUET HALL FOR 400 PERSONS WITH	Issued on 27.09.2023, Valid upto 31.07.2028
9	Galaxy Mall (MADHUVAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED GALAXY MULTIPLEX AND SHOPPING MALL), 64/5, Site-4 Sahibabad, Ghaziabad.	16	Multiplex and Commercial Complex	Issued on 14.09.2020, Valid upto 31.07.2025
10	Hotel Crystal Palace, Plot Number 2163, Sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	17	Hotel-16 Rooms	Issued on 29.04.2024 Valid upto 31.03.2025
11	Mukut Regency Hotel, CC-1, Sector 13, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012.	18	Hotel Cum Banquets HALL -31 ROOMS	Issued on 02.10.2022, Valid upto 31.03.2027
12	Hotel RK Residency, Plot no 2159, Opp Awas Vikas Complex Sector 16, Vasundhara, Ghaziabad 201012,	19	HOTEL CUM BANQUETS HALL 22 ROOMS	Issued on 16.06.2023, Valid upto 31.07.2024
13	Eros Mall, 2nd Floor, Eros Market Place, Padmana Naidu Marg, Shakti Khand 2 (Opposite DPS), Indirapuram, Ghaziabad — 201014	20	Shopping mall	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

14	Clarks Inn, Plot No 41, Kaushambi, Ghaziabad 201010, E-mail: centralreservations@clarksinn.in	21	Hotel-26 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028
15	The Vaishali Inn, 339A, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010	22	Hotel-20 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028
16	Banana Tree Hotel, Plot No. 14, 2, Plot Alpha, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010	23	Banquet Hall - 60 Rooms	Issued on 31.05.2023, Valid upto 31.07.2028
17	Hotel Sunshine Park, Chander Nagar, Near Anand Vihar Railway Terminal Ramprastha Colony, Block D. Surya Nagar Delhi, D-1, Dr Bhabha Marg, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201011	24	Hotel Cum Banquets Hall - 39 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2026
18	Hollywood Dreams Gaur Ganga 2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010,	25	BANQUET HALL (700-750 PERSONS) & ROOMS- 06	Issued on 01.04.2022, Valid upto 31.03.2025
19	Signature Global Mall, Sector 3, Vaishali, Ghaziabad – 201001 E-mail: info@signatureglobal.in	27	Commercial Mall	Issued on 28.07.2023, Valid upto 31.07.2028
20	OYO 11452 Golden Castle Lodge 11, KH No. 1/11, Indirapuram, Ne Khand I, Ghaziabad-201014	40	Lodge/Room-18	Issued on 14.05.2024, Valid upto 31.07.2025
21	OYO 1391 Hotel Pushpa Vilas, Plot No. 584, Near Pushpanjali Crosslay hospital, Sector 1, Vaishali, Ghaziabad-201010	42	Guest Room - 12	Issued on 16.06.2023, Valid upto 31.07.2024
22	West View Hotel, 106, Modeltown, G.T. Road, Near Navrang Cinema, Model Town, Ghaziabad-201001	54	HOTEL-13 ROOMS	Issued on 27.02.2024, Valid upto 31.03.2026
23	Rousha INN, D-81, Kaushambi, Near metro station, Kaushambi, Ghaziabad-201010	83	HOTEL-20 ROOMS	Issued on 16.10.2023, Valid upto 31.07.2028
24	Le Crescent, Plot no-14a, Mall road, Near DPS school, Old building, Ahinsa khand-2, Indirapuram, Opposite Cloud 9, Ghaziabad- 201 014	84	HOTEL-42 ROOMS	Issued on 30.09.2023 Valid upto 31.07.2028
25	Rajpath Residency, D-31, Kaushambi, EDM Mall road, Opposite Anand vihar rail Station, Ghaziabad-201001	85	HOTEL-21 ROOMS	Issued on 01.12.2023 Valid upto 31.03.2029
26	M/s Khatu Shyam Restaurant (Manpango Pizza), M-35, Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad- 201009	86	Restaurant – 60 Seat	Issued on 30.03.2024 Valid upto 31.03.2026
27	Vanchu Hut, H-70, Ground Floor, Block-H, Shop No. 6 & 7, Pratap Vihar, Sector-12, Ghaziabad- 201012	88	Restaurant – 32 Seat	Issued on 25.05.2024 Valid upto 31.03.2028
28	Dr. Chef/Neha Sharma, MS-1, Sector- 12, Pratap Vihar, Nagar Nigam Zone- II, Ghaziabad- 201001	89	Restaurant— 30 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto. 31.03.2025
29	M/s Saleem Chicken (New Name New Salam Chicken), Pari Sadakpur, Delhi SahasapurRoad, Loni, Ghaziabad- 20102	93	Restaurant— 35 Seat	Issued on 14.08.2024 Valid upto 31.07.2024




ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

30	M/s Rajendra Club, K.K. Enterprises (Bandhan Banquet), Gole Park, Sector- 3, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad 201005	94	Banquet Hall- 200 person	Issued on 29.04.2024 Valid upto 31.07.2028
31	M/s Wah ii Wah (MS Foods), Plot No. 05, NaveenPark, Sahibabad, Ghaziabad-201005	101	Restaurant — 40 Seat	Issued on 12.04.2024 Valid upto 31.03.2029
32	Sri Rohit Ahuja 5/ Sri Vijay Ahuja M/s New Poul restaurant, 125- B/1A, Anand Industrial area, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007	102	Restaurant — 110 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
33	M/s Flock O Clock, Shop No. D27, Gaur Central Mall, Raj Nagar, Ghaziabad- 201002	104	Restaurant— 40 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025
34	M/s Mahipal Yaduvanshi Restaurant, Near A Block, Shivpuri, Ghaziabad NagarNigam, Zone-9, Ghaziabad- 201009	109	Restaurant— 45 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025
35	M/s Real Flavour UP (Dosa Factory) Plot No. 06, Main G.T. Road Sector- 5, Rajendra Sahibaba Ghaziabad- 201005	112	Restaurant— 30 Seat	Issued on 03.05.2024 Valid upto 31.03.2028
36	M/s SKY garden café & Restaurant, Shubh aarambh foods and caterers, First floor, MS- 20 and ms-23, sector- 12, Mirzapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad- 201009	113	Restaurant — 28 Seat	issued on 03.08.2024 Valid upto 31.03.2025
37	M/s S R Hotel Delhi Meerut Road Near Hanuman Mandir, Asalat Nagar, Muradnagar, Ghaziabad - 201006	114	HOTELS- 12 ROOMS, RESTAURANT AND PARTY HALL	Issued on 19.07.2024 Valid upto 31.0.2025
38	M/s Ahuja Vaishno Bhojnalaya, Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	115	Restaurant-- 120 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
39	M/s Food Work Shop, C-84, RDC Raj Nagar, Ghaziabad- 201002	118	Restaurant — 95 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2029
40	M/s Urbon Punjab Foods Pvt. Ltd., Windsor Market, Shop No-29, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad- 201014	119	Restaurant — 30 Seat	Issued on 31.05.2024 Valid upto 31.03.2029
41	M/s AngithiDhaba (Shree Shyam Food), Arthla Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	120	Restaurant (Food and Beverages Item) — 60 Seats	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

42	M/s Haridra Hospitality Swadesi Tandoor KIOSK No-1, Shop No-1,2, Windsor Street, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad- 201014	122	Restaurant — 35 Seat	Issued on 14.08.2024 Valid upto 31.07.2029
43	M/s Maa Ambey Foods, C-51, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	125	Restaurant — 50 Seat	Issued on 24.05.2024 Valid upto 31.03.2029
44	M/s Anu Da Rendezvous, C-9697, RDC, Rajnagar, Ghaziabad - 201002	127	Hotel-16 Room with restaurant	Issued on 02.05.2024 Valid upto 31.03.2029
45	M/s Kamal Dhaba, Sector-16, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	129	Restaurant — 50 Seat	Issued on 17.04.2024 Valid upto 31.03.2029
46	M/s Shree Rathnam, Near Kaushambi Metro Station, Kaushambi, Ghaziabad- 201012	133	Restaurant — 45 Seat	Issued on 30.05.2024 Valid upto 31.03.2029
47	M/s Rosellia Suites & Benquet Hall, Plot No.-Cp-04, Sec-11, Vasundhara, Ghaziabad- 201012.	136	BANQUET HALL —CAPACITY-100 PERSON	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2028
48	M/s Elara Banquet Hall, INS-9, Sector-4, Vasundhara, Ghaziabad	138	BANQUET HALL —CAPACITY-200 PERSON	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
49	M/s Ram Vatika Community Center, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	143	Banquet Hall For 150 Persons with 4 Rooms	Issued on 25.06.2024 Valid upto 31.03.2026
50	M/s Green Valley, Khasra No. 372, Green Velly Farm House, Sikandarpur, Ghaziabad- 201004	149	Banquet Hall For 250 Persons with 4 Rooms	Issued on 24.05.2024 Valid upto 31.03.2025
51	M/s Friends Hospitality, 4th Floor, D27, RDC Raj Nagar, Ghaziabad- 201002	152	Restaurant -- 30 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025

14. 52 units do not have Consent to Operate and details such units are as under:-

“

Sr. No.	Name and Address	Respondent No
1.	Hotel Frank INN, 13, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad- 201001	28
2.	Hotel Parth INN, C-1, Govindpuram, Hapur Road, Ghaziabad-201013	29
3.	Hotel Samrat, Kaushambi 024, Kaushambi, Ghaziabad- 212207	30



(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

4.	OYO 12764 Grand INN, 4/353. Behind Rawal Pindi Jewellers Market Sector 4, Vaishali, Ghaziabad-201014	31
5.	Hotel 12807, Amaira Hotel and Banquets 1. Plot No. 1, Village Praladhgari, Vasundhra Ghaziabad-201012	32
6.	OYO 9301, Hotel Red Bury, Kalka Garhi Chowk, Ghaziabad-201001	33
7.	AT Residency, D-75, Kaushambi, Opp. Pacific Mal, Near Anand Vihar Metro Station, Ghaziabad-201010	34
8.	OYO 421, One Hotel, 653/1, Shakti Khand, 3rd, Nehar Road, Ghaziabad-201010	35
9.	OYO 13576, Hotel Residency, 7171 Gupta colony, GT Road, Near Ramte Rani Road, Ghaziabad-201001	36
10.	OYO 13758 XS. Residency E3Dr, Bhabha Marg, HIG Flats, Chander Nagar, Surya Nagar, Ghaziabad-201011	37
11.	OYO 10591 Hotel Parktel 583, Vijay laxmi Pandit Marg, Near Omaxe Plaza, Shakti Khand 2, Ghaziabad-201010	38
12.	OYO 11407 Hotel Royal King 171, 14D, 132, Ehsaan All, Bazaria, Ghaziabad-201001	39
13.	OYO 12833 Century Grand 6, Wazirabad Road, Near Bhopura Chowk Petrol Pump, Sahibabad, Ghaziabad-201005	41 43
14.	OYO 9178 Hotel New Central Park, Plot No. D-36, Kaushambi, Behind Kaushambi Metro Station, Ghaziabad- 201010	
15.	OYO 947 Hotel Palazzo Di Lara, Plot No 11-12, Sector-3, Near gate No.1 of Mahagun Metro Mall, Vaishali, Ghaziabad-201010	44
16.	Hotel Taru INN 306-307, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	45
17.	Maiden Residency, 344/1, Pandav Nagar, Near Hospital Columbia Asia Ghaziabad-201002	46
18.	Hotel Minar, 12/13 Chhoti Bazaria, Railway Road, Ghaziabad-201001	47
19.	Hotel Grand, Tushar Chaudhary More, GT Road, Ghaziabad-201001	48
20.	Hotel Shri Drona, 160, Main NH-24, Khora Colony, Adarsh Nagar, Opposite Indirapuram, Ghaziabad-201014	49
21.	Hotel Raghav, N343-A, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	50
22.	Hotel Prithvi Palace, 2 E 221, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	51
23.	Hotel Imperial, 171, Railway Road, Opp. Police Chowk, Bazaria, Ghaziabad-201001	52



(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24.	Hotel Parth Paradise, B-18, Surya Nagar, Opp. Vivek Vihar, Delhi NCR, Ghaziabad-201010	53
25.	Redbury Hotel, B3Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	55
26.	Hotel Blue Stone, Plot No. 5, Sec-14, Near Seemant Vihar, Kaushambi, Ghaziabad-201010	56
27.	Hotel Tushar Elegant, KM-35, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201002	57
28.	Madhu Regency, 11-M-69, Nehru Nagar Society, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	58
29.	Hotel Supreme, 126.127 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	59
30.	Hotel Shubham, City, 20, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	60
31.	Hotel Sharda Ghaziabad, 21 Old Munsfi Road, Navyug Market, Naya Ganj, Ghaziabad-201001	61
32.	Hotel Heaven, Near Truck Union, GT Road, Ghaziabad- 201001	62
33.	Hotel Embassy, 166 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad- 201001	63
34.	Darshan Hotel, Plot No. 240, Adarsh Nagar, Khora Colony, Opposite Indirapuram, Ghaziabad-201014	64
35.	Bharat Guest House, 6-1, Surya Nagar, Near Raghunath Mandir, Ghaziabad-201011	65
36.	Hotel Marina, 162, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad- 201001	66
37.	Hotel Aashiyana, 160 Rahmed Ali Compound Railway Road, Ghaziabad- 201001	67
38.	City Lodge, 198, Kallupura, Maliwara Chowk, Ghaziabad- 201001	68
39.	Hotel Quizz @ railway station (1 Min Walking distance), 16 Railway Road, Bazaria, (Near Ghaziabad Railway Station) Ghaziabad-201001	69
40.	OYO 13602 Hotel The Town House B-21-22, RDC Rajnagar, Ghaziabad-201001	70
41.	Swiss Hotel, GT Road Near Opulent Mal, Ghaziabad- 201001	71
42.	Ace Manor Hotel, 28/1/5-6. Sahibabad industrial Area Site 4, Ghaziabad- 201010	72
43.	Hotel Elite, Ghanta Ghar, Railway Road, Plot N Ghaziabad-201001	73
44.	Yash Guest House Ghaziabad, R-115, Vakil Colony, Pratap Vihar, Ghaziabad-201	74
45.	Heritage inn Ghaziabad, D-2, Rampuri, Near Surya Nagar (Near B Bloes Rampuri Park), Ghaziabad-201011	75



(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.) 24 JAN 2025

46.	BLACK STONE HOTEL, Plot No 378 Main Link Road, Vasundhara Sector 16, Opposite Reliance Euro Park Ghaziabad-201012	76
47.	OYD 12123 Hotel Sweet Dreams, Nathan Highway 24, Lal Kuan Near Radha Krishna Public School, Lal Kuan, Ghaziabad-201009	77
48.	CITY HOTELS & BANQUETS, II M-68, Nehru Nagar, Opposite Nehru Yuva Kendra, Ambedkar Road,	78
49.	OYO 9750 Hotel Atithi, 156/157, Ahasan All Compound, Railway Road Bazaria, Ghaziabad-200101	79
50.	Aggarwal Lodge, Shop No-159 Ehsan Ali Compound Railway Road, Bazaria Ghaziabad-201001	80
51.	Hotel shiva, Khasra No.161, G.T. Road, Lal Kuan	81
52.	Hotel Metro 1, A40, Block A, Lohia Nagar, Ghaziabad- 201001	82

15. 03 units are lying permanently closed. Details whereof are as under:-

“

Sr. No.	Respondant No	Name and Address
1-	97	M/s Bella Vista (Treeza Gill), NS-1, Sector-12, Block-N, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009
2-	98	M/s Laxmidarshan, 192/1, Prakash Industrial Estate Adjoining Raj Bagh, Rajendra Nagar, Sector-3, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-03, Ghaziabad-201001
3-	106	M/s Devi Dayal Food Private Limited, KB-75, Kavi Nagar Ghaziabad-201002

16. Further 40 units do not have Consent to Operate under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 out of which 25 units have been issued show cause notices for closure and closure orders have been issued in respect of 15 units. Details of 25 units which have been issued notices for closure and 15 units where closure orders have been issued ,are as under;-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

Sr. No.	Name and Address of Unit	Respondent No	Latest Action Taken
1.	Aditya Mall, Nyay Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad- 201010	11	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice with new name Aditya Mall Traders Association (Regd), BF-36, Aditya Mall Indirapuram, Ghaziabad (Old Name Aditya Mega City (Aggarwal Associates Promoters Ltd), CFH-03, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,85,31,250J-
2.	M/s Garam Dharam, Plot No-1, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	116	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,81,250/-
3.	M/s Hotel Grand Tushar, 178, bagh Bhtyari, Chudhary More, G.T. Road Near Railway Station, Ghaziabad- 201001	117	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,81,250/-
4.	M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No-22, Sector-03, Vausndhara, Ghaziabad 201 012	121	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,57,812/-
5.	M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	123	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,187/-
6.	M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	124	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,187/-
7.	M/s Megatech Products Pvt. Ltd, D-3,4, and 5 Rajnagar, Ghaziabad. KF- 7, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201001	126	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,10,937/-
8.	M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	128	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,34,360/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

20

24 JAN 2025

9.	M/s Great Research Hospitality Service & Hoikah Bar, Plot No-B-15, 3rd Floor, RDC Rajnagar, Ghaziabad- 201002	130	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,73,420/-
10.	M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad- 201003	131	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,73,420/-
11.	M/s Walk In The Woods Pvt. Ltd., Gour Height, Shop No-12,13,14, GF and LGF-1, Sec-4, Vaishali, Ghaziabad- 201019	132	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,96,856/-
12.	M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No-19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	134	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,71,864/-
13.	M/s Radha Govind Vatika party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad - 201012	135	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,48,437/-
14.	M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10-D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	137	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,71,864/-
15.	M/s Welcome Om Green Fous, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	139	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
16.	M/s Raj Farms, Khasra No. 293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	140	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
17.	M/s Royal farmhouse, Khasra No. 124/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.	141	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

21
24 JAN 2025

18.	M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	142	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
19.	M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	144	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
20.	M/s Palki Farms, Khasra No317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.- 201004	145	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
21.	M/s Party Shine, Village Sikandarpur, Hindon civil,	146	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
22.	M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad- 201004	147	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
23.	M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad- 201004.	148	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
24.	M/s Mahasja Shiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadara bad Modinagar, Ghaziabad- 201204.	150	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,03,125/-
25.	M/s Spice Gardeen Restaurant & Benquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, U ppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad - 201204	151	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,03,125/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025²²

Sr. No.	Name & Address of Units	Respondent No.	Latest action Taken
1-	Hotel Clarks Inn Apple Tree, C-2, Raj Nagar District Ghaziabad-201001. E-mail: admin@chobs.in	26	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 4,60,000/-
2-	M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No.04, Archana Apartment, Naveen Road Bhopura, Ghaziabad-201005	87	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 22,34,232/-
3-	M/s Pind Baliuchi (Unit of Excellence Hospitality) Shop No. 303, In panchsheel square at plot no C3, Crossing republic Village Dundahera, Ghaziabad-201016	90	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-
4-	Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. road, Sahibabad, Ghaziabad-201015	91	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs.31,09,176/-
5-	M/s Golden Leaf restaurant Party Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahibabad, Jhandapur, Ghaziabad. Ngar Nigam Zone- 4, Ghaziabad-201005	92	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 8,12,448/-
6-	M/s Hotel Florish Old Name Hotel Royal Mahal, H. No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-3, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-3, Ghaziabad-201001	95	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,20,068T
7-	M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok Eat), H-73, Sector-12, •Pratap Vihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad-201001	96	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 49,99,680/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

8-	M/s Devyani International Limited, K.F.C. Shop no. GF-16 & FF-4 to 09, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Symphony, Crossing Republic NH-24, Ghaziabad-201016	99	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-
9-	M/s Kathi Food Junction & Café, Shop No. 6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	100	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,66,940/-
10-	M/s Swade Punjab Old Name Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	103	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 27,88,884/-
11-	M/s Ranya Ma nya Enterprises, Shop UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republik, Dunduhaida, Ghaziabad, Nagar Nigam Zone-08, Ghaziabad-201001	105	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33 the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 14,29,596/-
12-	M/s Tanddori Chaska (Old Name Shreshth Gandhi (Food Forest), J-65, Sector-12, Block-j, Pratap Vihar, Ghaziabad- 201009	107	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 10,07,748/-
13-	M/s Jubilant Foodworks Ltd (Dominos Pizza) Ground floor, Shop No. 01, Commercial Plot no. NS-01, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009	108	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-
14	M/s Metro Golden Residency B & B, Main G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad-201009	110	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 7,34,328/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)


24

24 JAN 2025

15	M/s TMF Cafe, Plot No. 3, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector-2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-2, Ghaziabad 201005	111	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A of the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs.
----	--	-----	---

17. It is further said that 17 establishments have been newly identified which have valid consents and are as under:

Sr. No.	Name of Hotels	Address	Capacity	Status of CTO
1.	NAZEER HOSPITALITY PVT LTD	Plot No. 511, Chauhan Complex, Sector-12, Vasundhara Ghaziabad	Veg/Non-Veg Cooked, Semi Cooked, Marinated items - 60 MT/Month	Issued on 29.04.2024, Valid upto 31.03.2027
2.	TROT HOTELS	SB-26, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD.	Hotel (Room capacity- 31 nos)	Issued on 06.04.2024 Valid upto 31.03.2029
3.	M/s VELVET LEAF	KHASRA NO 556, NOOR NAGAR, RAJ NAGAR EXTN, Ghaziabad.	Banquet Hall-total plot area 4403.53sqm	Issued on 27.03.2024 Valid upto 31.07.2026
4.	SADIT INFOTECH PVT LTD	KHATA NO. OLD 00771 NEW 1408 KHASRA NO.- 536 AT VILLAGE - NOORNAGAR, PARGANA- LONI, DIST1.-GHAZIABAD.	Commercial/function Hall & Hotel- 13571.58 SQM	Issued on 27.03.2024 Valid upto 31.07.2028
5.	KAYTEEGEE RESTAURANTS AND SWEETS PRIVATE LIMITED	H.N. 2, BLOCKB, SECTOR 2, KHORA G HON, KHORA, GHAZIABAD.	RESTAURANTS AND SWEETS -20 Seat	Issued on 22.03.2024 Valid upto 31.07.2024
6.	NAZEER HOSPITALITY PVT LTD	S-52 Site -4, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad.	Veg/Non-Veg Cooked, Semi Cooked, Marinated - 60 MT/Month	Issued on 14.03.2024 Valid upto 31.07.2025
7.	KNK FOOD AND BEVERAGES	H No S C 125, Shastri Nagar, Ghaziabad 201001	Food and Beverages	Issued on 13.03.2024 Valid upto 31.03.2026
8.	VYANZAN PLAZA	PLOT NO-9, KHASRA NO-549 RAIDHANI ENCLAVE VILLAGE PAW SADAKPUR LONI GHAZIABAD.	SWEETS, NORTHINDIAN & CHINESE FOOD- 40 Seating	Issued on 13.03.2024 Valid upto 31.03.2028



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

9.	PRINCIPE RESTAURANT	UB-02, REAL SQUARE, PLOT NO 19, SECTOR-3, VASUNDHARA, G HAZIABAD.	Restaurant (Food and Beverages Item) — 40 Seats	Issued on 15.03.2024 Valid upto 31.03.2026
10.	Ms Orana Hotel and Convention unit of Gupta jee tent Services FM Ltd	Gaur Ganga-2, Phase-1, Sector-4, Vaishall, Tehsil-Ghaziabad, District-Ghaziabad.	Restaurant-60seat, Room-50, Banquet Hall-04	issued on 06.03.2024 Valid upto 31.07.2028
11.	THE MARSHAL	354, Razapur Road, Pandav Nagar, Ghaziabad.	BANQUET HALL	Issued on 06.03.2024 Valid upto 31.03.2029
12.	AWADH FOODS	Under Kaushambi Metro Station, GHAZIABAD, 201010	Bakery Foods & Fast Food	Issued on 26.02.2024 Valid upto 31.03.2026
13.	GOOSE BUMPS	C-69 RDC RAJ NAGAR GHAZIABAD.	Restaurant-90 Chair	Issued on 14.02.2024 Valid upto 31.03.2029
14.	VEDANTAM COMPLEX	Khasra No-917M, Noor Nagar, Raj Nagar Extension, Main Road, GHAZIABAD,	HOTEL -13 ROOMS, BANQUET HALL & Restaurant shops	Issued on 08.02.2024 Valid upto 31.07.2026
15.	PRESENT FOOD AND BEVERAGES PVT LTD	AG- 9, 7, 8, 42, 43, 44, 45, and AF-42, AF-4, AF- 5A, AF-56, Aditya City Center, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad.	Food and Beverages/Restaurant 50 Seating	Issued on 06.02.2024 Valid upto 31.07.2028
16.	NEW RAJA VAISHNO BHOJNALAYA	PLOT NO. 1, G.T; ROAD, MOHAN NAGAR, GHAZIABAD.	RESTAURANT-120 SEATING	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
17.	PRIM ESERVE HOSPITALITY PVT LTD	NAMASTE PUNJAB, SHOP NO-13,14, GROUND FLOOR, WINDSOR PARK, PLOT NO-5, VAIBHAV KHAND, INDIRAPURAM, GHAZIABAD.	RESTAURANT-25 SEATING	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.03.2029

18. Pursuant to notices issued to Proponents, respondents 138, 88, 129, 140, 141, 143, 10, 84, 20, 27, 125, 127 and 52 have filed their responses.

19. In view of the order which we propose to pass, we are not referring these responses in details in this order.



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

20. We have heard learned counsel for parties and with consent of parties, we are deciding this matter.

21. In respect of the Proponents, their consent has already been obtained under the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981, as the case may be, there is no legal obstruction in their continuance and functioning. Therefore allow these units to function without any further obstruction subject to further requirement of renewal of consent, etc. as the case may be, which they will obtain in accordance with law whenever occasion arises. The establishment shall also observe and comply the consent conditions strictly. On this aspect, UPPCB shall make periodical inspections and monitor compliance of consent conditions in respect of the said proponents.

22. In respect of the proponents who have not obtained any consent till date, looking to the facts and circumstances and also the fact that in most of the cases, it is the lack of knowledge or information by the concerned proponents, we allow them three months' time to apply and obtain consent from the competent authority i.e. UPPCB. After three months, hospitality establishments who have not obtained consents shall not be allowed to operate. Appropriate orders for closure of such units shall be passed by the competent authority of UPPCB in accordance with law and actual closure shall be monitored effectively till the statutory consent is obtained by such Proponents and thereafter they would continue to comply with the consent conditions. With regard to such Proponents who failed to obtain consent within the time allowed by this Tribunal, competent authority of UPPCB shall also take punitive, preventive, prohibitive and remedial steps including, assessment and recovery of Environmental Compensation, expeditiously.



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazabad (U.P.)

24 JAN 2025

23. In respect of the orders of Environmental Composition already passed by the UPPCB, we clarify that these orders are appealable under the relevant Statutes. Therefore, the aggrieved persons may avail such statutory remedy in accordance with law and this order shall not affect those orders already passed. However, in respect of the closure orders already passed, but later consent has been obtained, appropriate order to enable the such proponents to operate shall be passed by the competent authority of UPPCB in accordance with law without any further delay.

24. A compliance report shall be filed by UPPCB showing status as on 31.12.2024 by 15.01.2025 before Registrar General of this Tribunal and if any further order is required, the matter shall be placed before the Bench concerned.

25. With the above directions/observations, this Original Application is disposed of.

26. A copy of this order be forwarded to UPPCB by email for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 23, 2024
Original Application No. 294/2023
AB



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025²⁸

राज्य संवाद / सी / 24 / 5024



क्षेत्रीय कार्यालय-उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- <https://uppcb.up.gov.in/en>, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

Ph. No-0120-4160108

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा जनपद गजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित होटल / रेस्टोरेन्ट / शॉपिंग माल्स / बैंकट हॉल्स / आदि इकाईयों के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 294 / 2023 Prasoon Pant & Anr. Versus UPPCB & Ors में दिनांक 23.08.2024 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अर्थ निम्नवत हैं:-

22. In respect of the proponents who have not obtained any consent till date, looking to the facts and circumstances and also the fact that in most of the cases, it is the lack of knowledge or information by the concerned proponents, we allow them three months' time to apply and obtain consent from the competent authority i.e. UPPCB. After three months, hospitality establishments who have not obtained consents shall not be allowed to operate. Appropriate orders for closure of such units shall be passed by the competent authority of UPPCB in accordance with law and actual closure shall be monitored effectively till the statutory consent is obtained by such Proponents and thereafter they would continue to comply with the consent conditions. With regard to such Proponents who failed to obtain consent within the time allowed by this Tribunal, competent authority of UPPCB shall also take punitive, preventive, prohibitive and remedial steps including, assessment and recovery of Environmental Compensation, expeditiously.

अतः ऐसे समस्त होटल / रेस्टोरेन्ट / शॉपिंग माल्स / बैंकट हॉल्स / आदि इकाईयों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, निर्धारित समयावधि में सहमति प्राप्त कर ही इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि किसी प्रकार की प्रतिकूल / दण्डात्मक कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इकाई / संस्था द्वारा संचालनाथ सहमति जल / वायु प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क एवं समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ निवेश मित्र की वेबसाइट (<http://niveshmitra.up.nic.in>) पर आन लाइन आवेदन किये जाने का प्राविधान है।

क्षेत्रीय अधिकारी

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गजियाबाद

11/09/24

दैनिक जागरण



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

Sr. No.	Name & Address of Units	action Taken	Remarks
1-	Hotel Clarks Inn Apple Tree, C-2, Raj Nagar District Centre, Ghaziabad-201001. E-mail: admin@chobs.in	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 4,60,000/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
2-	Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. road, Sahibabad, Ghaziabad-201015	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs.31,09,176/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
3-	M/s Golden Leaf restaurant Party Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahibabad, Jhandapur, Ghaziabad Ngar Nigam Zone- 4, Ghaziabad-201005	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 8,12,448/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
4-	M/s Hotel Florish Old Name Hotel Royal Mahal, H. No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector- 3, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-3, Ghaziabad-201001	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,20,068/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
5-	M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok Eat), H-73, Sector-12, Pratap Vihar, Sector- 12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad-201001	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 49,99,680/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

6-	M/s Devyani International Limited, K.F.C. Shop no. GF-16 & FF-4 to 09, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Symphony, Crossing Republic NH-24, Ghaziabad-201016	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
7-	M/s Kathi Food Junction & Café, Shop No. 6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,66,940/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
8-	M/s Ranya Manya Enterprises, Shop UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republik, Dunduhaida, Ghaziabad, Nagar Nigam Zone-08, Ghaziabad-201001	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 14,29,596/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
9-	M/s Tanddori Chaska (Old Name Shreshth Gandhi (Food Forest), J- 65, Sector-12, Block-j, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 10,07,748/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
10-	M/s Metro Golden Residency B & B, Main G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad-201009	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 7,34,328/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
11-	M/s TMF Cafe, Plot No. 3, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector-2 & 5,	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee,



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

	Ghaziabad Nagar Nigam Zone-2, Ghaziabad-201005	(Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 12,10,860/-	constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
12-	Aditya Mall, Nyay Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad 201010	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice with new name Aditya Mall Traders Association (Regd), BF-36, Aditya Mall Indirapuram, Ghaziabad (Old Name Aditya Mega City (Aggarwal Associates Promoters Ltd), CFH-03, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,85,31,250/-	--
13-	M/s Garam Dharam, Plot No-1, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,81,250/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
14-	M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No-22, Sector-03, Vausndhara, Ghaziabad – 201 012	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,57,812/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
15-	M/s Great Research Hosiptality Service & Hoikah Bar, Plot No-B-15, 3rd Floor, RDC Rajnagar, Ghaziabad-201002	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

		along with EC Rs. 2,73,420/-	District Magistrate, Ghaziabad.
16-	M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,18,750/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
17-	M/s Palki Farms, Khasra No317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.- 201004	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,18,750/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
18-	M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad- 201004	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,42,172/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
19-	M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad- 201004.	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,18,750/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
20-	M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad - 201204	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,03,125/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
21-	M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10-D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	UPPCB issued a closure order on 17.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

		of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,71,864/-	District Magistrate, Ghaziabad.
22-	M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	UPPCB issued a closure order on 16.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,42,172/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
23-	M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No.04, Archana Apartment, Naveen Road Bhopura,, Ghaziabad-201005	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 22,34,232/-	Disconnection of the electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1462
1365

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17/08/2024 को मैसर्स डोटेल ब्लार्क इन कार्ड स्पल डी, डी-2, RDC, गाजियाबाद का स्वामीयजन्य ~~निष्पन्न~~ किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री दीपक (ने.टी.ने.स. डी.ए.ए.) की उपस्थिति में ~~इकाई में~~ घाया गया
~~को सील करते हुये इकाई~~
~~का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना~~
~~को सौंपी गयी।~~

कि ~~इस इकाई~~ वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द है। इकाई प्रतिनिधि को बन्दी आदेश दिनांक 13-08-2024 की प्रति प्राप्त कराई गयी।

दीपक शर्मा
17/08/24
9979993075

(Sandeep Sharma)
17/08/2024
M-9911024428 UPPCB, G2B
17/08/24
UPPCB, G2B

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



24 JAN 2025



1463
1333
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H-15712/C-1/सा0-1447/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.1.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree,
C-2, RDC,
Ghaziabad.

mob No: 8191908043

यह कि M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-01979/ सी-1/ सा0-1447/का0ब0नो0/2023 दिनांक 18.10.2023 द्वारा रू0 4,60,000 (Rs. Four Lakh Sixty Thousand Only)/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad के विरुद्ध रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-01979/ सी-1/सा0-1447/का0ब0नो0/2023 दिनांक 18.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720631, 2720628, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720784
ई-मेल : info@uppcb.com | www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720631, 2720628, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720784
e-mail : info@uppcb.com | www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1464
1334

उक्त के साथ इकाई M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 5000/- प्रतिदिन की दर से कुल 92 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रु 4,60,000/- (रु0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- (i) Nature of Pollution- Water Pollution
(ii) Regional Office- Ghaziabad
(iii) EC Imposed in compliance- UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 11.12.2023 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
o/c

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
o/c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1465
1377

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक को मैसर्स हायल प्लेटिनाम,
192/1, राज बाग मेहरो स्टेशन, GT Road, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री अनमोल शर्मा की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विद्युति ~~को~~ संलग्न करते हुये इकाई
का संचालन बन्द कराया गया तथा ~~सर्व~~ सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबाबाद
.....को सौंपी गयी।

[Handwritten signatures and notes]
20/8/24
Anmol
2826345718
22/01/24
AEE, UPPER
628
Anmol
N
सलाम रीफ
9990525468
लखनऊ
जि.प. 13/5/24



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (J.P.)

24 JAN 2025

1466
1339



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 115687 / C-1 / सा0-1670 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Hotel Platinum,
192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station,
G.T. Road, Sahibabad,
Ghaziabad.
mob. No. ~~92124~~ 9354522183

यह कि M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07985/सी-1/सा0-1670/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 31,09,176/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्स्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्स्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 216/सी/एच-261/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720851

फैक्स : 0522-2720784

ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chuziabad (J.P.)

TC-12V, Vibhuti Khanda

Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720851

Fax : 0522-2720784

e-mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

24 JAN 2025

1467
1340
-2-

उक्त के साथ इकाई M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 398 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 31,09,176/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- (i) Nature of Pollution- Water Pollution
(ii) Regional Office- Ghaziabad
(iii) EC Imposed in compliance- UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

ole



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (J.P.)

24 JAN 2025

1468
1373

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 22.08.2024 को मैसर्स गोल्डन लीज रेस्टोरेट
पार्टी हाउस, दीपक कुमार बालाजी हासिटेलेवी, नकीन पार्क, रोड नगर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।

मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विद्युत खंयोजन को विन्दीत की उपस्थिति में इकाई में कने सीख करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सीख सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबाबाद को सौपी गयी।

Sudhin

20/8/2024

0243979507

20/8/2024
REC. UPPER GEB

20/8/2024
(REC) UPPER
GEB

20/8/2024

Anand

REC

REC

Mohammed



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No: 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1469
1341
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 1/5694 C-1 / सा0-1671 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13-1-2024

सेवा/में,

पंजीकृत

M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall,
Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4,
Ghaziabad.

Mal. No. 9411854907

यह कि M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07986/सी-1/सा0-1671/का0ब0नो0/2024, दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 8.12.448/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रावह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रावह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 218/सी/जी-436/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720681

फैक्स : 0522-2720764

ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,

Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720891, 2720681

Fax: 0522-2720764

E-mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025


1470
1342

उक्त के साथ इकाई M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 104 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 8,12,448/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(चिवक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1471
1374

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...20-08-2024... को मैसर्स डा.एच.पुलिया
(उपरोक्त नाम - डा.एच.पुलिया) 11/10-6 नबीपुर्ण, राईदगाद सी.3, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में इकाई में
.....विद्युत संयोजन को विच्छेदित.....करे सील करते हुये इकाई
का संचालन बन्द कराया गया तथा ~~सील~~ सुपर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबवादा
.....को सौंपी गयी।

Q. Anwar
8527053370
(Manager)

Anshul
20/08/24
AEE, UPPCB
Q2B

Q. Anwar
(AEE), UPPCB,
Q2B
20/08/24

Q. Anwar
20/08/24
JE(03)
Maha Naga

Anshul



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Chazilabad (U.P.)

24 JAN 2025



1472
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H-15715/C-1/सा0-1874/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal),
H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8,
Ghaziabad.
Mob. No. 9871828635

यह कि M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07989/सी-1/सा0-1674/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 38,20,068/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 201/सी/एच-262/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लुक्नो-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720881, 2720881
फैक्स : 0522-2720784
ई-मेल : info@uppcb.com | www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720881, 2720881
Fax : 0522-2720784
e.mail : info@uppcb.com | www.uppcb.com

24 JAN 2025

1473
1344

उक्त के साथ इकाई M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 489 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 38,20,068/- (रुपये अड़तीस लाख बीस हजार अड़सठ मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 31.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

82

1474
1369

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-08-2024 को मैसर्स आशीष कुमार यादव (एन ओके इट), प्लॉट-73, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विपिन की उपस्थिति में इकाई में का विद्युत बिच्छेदन करते हुए के सीब कस्के हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सीब सुपुर्वगी सम्बन्धित थाना विजयनगर को सौंपी गयी। बन्दे आदेश दिनांक 13-8-24 के उक्त इकाई के उद्योग प्रारंभ करना है गये।

Signature
17/08/24
9897596331

Signature
17/08/24
(N.E.)
UPPCB, Ghazipur

Signature
17/08/24

Signature
17-8
9193301595

Signature
17/8/2024
(N.E.)



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazipur (U.P.)

24 JAN 2025



1475
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 115689 C-1/सा0-1675/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.1.24

सेवा में

पंजीकृत

M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat),
H-73, Sector-12, Pratap Vihar, Sector-12, Mata Colony,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6
Ghaziabad

यह कि M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat), H-73, Sector-12, Pratap Vihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07990/सी-1/सा0-1675/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रु0 49,99,680/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जन्मित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 204/सी/ए-840/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat), H-73, Sector-12, Pratap Vihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

पता: 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स: 0522-2720764
ई-मेल: info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax: 0522-2720764
e-mail: info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

उक्त के साथ इकाई M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok cat), H-73, Sector-12, PratapVihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 640 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 49,99,680/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी, अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (J.P.)

24 JAN 2025

1477
1366

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-08-2024 को मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि. (KFE) GF-1C&FF-4 to 0, GH-06, Panoramant Spectrum, Gurgaon, Haryana का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री. शादत अली की उपस्थिति में इकाई में बिजुल संयोजन को विन्दित करने के सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना कारिगा रिपब्लिक को सौंपी गयी। बन्दी आदेश दिनांक 13-8-24 की प्राप्ति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त कराई गयी।

Mudaf
17/8/24

17/8/24
(AEE)
UPPC& G&B

17/08/24



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (J.P.)

24 JAN 2025



1478
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 1/5686/C-1/सा0-1678/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.2.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Devyani International Limited,
K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06,
Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24,
Ghaziabad.

Meta No. 9315157061

यह कि M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07993/सी-1/सा0-1678/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु संशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्पन्न होने के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्पन्न सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 211/सी/डी-291/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल सयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (J.P.)

1479
1348

उक्त के साथ इकाई M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad के विरुद्ध मा० एन०जी०टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 1826 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विदेव राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

a/c

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

a/c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1480
1375

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।


उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक १०-०८-२०२४ को मैसर्स काशी फूड इन्डस्ट्रिय संस के.पे. ६/१६४, सैक्टर - २, इलेक्ट्रोनगर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार, हैनर की उपस्थिति में इकाई में विद्युत संयोजन की विन्डो को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सैक्टर सुपर्दगी सम्बन्धित थाना X को सौपी गयी।



20/08/2024
784 0045505


20/08/24
AEE, VPPUR
GZB


20
विशालापटेल
(AEE)
EONDWCH


24/08/2024



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (J.P.)

24 JAN 2025

113



1481
1349

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 115691 /C-1/सा0-1679/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.8.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Kathi Food Junction and Cafe,
Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar,
Ghaziabad.
Mob.No.8285999681

यह कि M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07994/सी-1/सा0-1679/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 38,66,940/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्स्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्स्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 209/सी/के-409/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (J.P.)

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



उक्त के साथ इकाई M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 495 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 38,66,940/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक राय)

o/c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1138/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (J.P.)

1483
1367

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17/8/24 को मैसर्स राज्य प्रजा UGF-40, 41, इण्डिया फ्लोरिडा, इण्डिया फ्लोरिडा का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विद्युत संयोजक विन्दी की उपस्थिति में इकाई में कम सूख करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सूख सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना कासिंग रिपब्लिक को सौंपी गयी। बन्दी आदेश की प्राप्ति प्रकार के मुख्य द्वार पर चस्का की गयी

Sandeep Sharma
U.P.P.C.L

17/8/24
A.S.E,
UPPCL G.E.S,

17/08/24

17/08/24



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (J.P.)

24 JAN 2025



1484
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-15714/C-1/सा0-1684/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.8.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Ranya Manya Enterprises,
Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8,
Ghaziabad.
Mob No. 8851673214

यह कि M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई/रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07999/सी-1/सा0-1684/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रु0 14,29,596/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.07.2024 को किया गया तथा संदर्भित रेस्टोरेन्ट M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad का पूर्व में निरीक्षण दिनांक- 31.01.2024 को किया गया था। वर्तमान निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेन्ट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 219/सी/आर-507/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी रेस्टोरेन्ट को प्रेषित की गयी जिसकी छायाप्रति निरीक्षण दिनांक 25.07.2024 को इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब बोर्ड को ज्ञाप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881

फैक्स : 0522-2720764

ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chazlabad (U.P.)

TC-12V, Vibhuti Khand,

Gomi Nagar, Lucknow-226010

Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881

Fax : 0522-2720764

E-mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

24 JAN 2025

1485
1354

उक्त के साथ इकाई M/s Ranya-Many Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 183 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 14,29,596/- /- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- (i) Nature of Pollution-
(ii) Regional Office-
(iii) EC Imposed in compliance-

Water Pollution
Ghaziabad
UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 31.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1486
1378

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...20-08-2024... को मैसर्स ...तन्वी चन्का
...J-65, सेक्टर -12, जे ब्लॉक, प्रताप विहार, गाजियाबाद... का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में इकाई में
...लिफ्ट संयोजन की विवेचित... के सील करते हुये इकाई
का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना ...विजयनगर...
.....को सौंपी गयी।


20/8/2024
AEB, U.P.P.S G.B.S.


B.I.(H)
20/8/24


20/8/2024
SSO
DN-5





ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1487
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 115685 / C-1 / सा0-1686 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13-2-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)),
 J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar,
 Ghaziabad.

Mob. No. 9178912065

यह कि M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08001/सी-1/सा0-1686/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रुपये 10,07,748/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्लावक के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेम/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्लावक सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 205/सी/एस-1456/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्परभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत चिहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध तिषेघात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
 गोमती नगर, लखनऊ-226010
 दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
 फॅक्स : 0522-2720764
 ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
 Reg. No. 1136/98
 NOTARY PUBLIC
 Chaziabad (U.P.)

TC-12V, Vibhuti Khand,
 Gomti Nagar, Lucknow-226010
 Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
 Fax : 0522-2720764
 e-mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

24 JAN 2025

उक्त के साथ इकाई M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दौपी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 129 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 10,07,748/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20-08-24 को मैसर्स श्री श्री जे.पी.डी.डी.
B.B., G.T. रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री प्रेमनाथ सिंघला, पी.पराईट की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विच्छेद करे सील करते हुये इकाई
का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबगढ़
को सौंपी गयी।



Arvind
20/8/24
A88, UPPCE
G2B

Arvind
जयशर्मा

खलास 11011
999-525468
19/08/24
गिडल-11

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 156901C-1/सा0-1689/निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Metro golden residency B & B,
G.T. Road, U.P. Border,
Ghaziabad.
Mob. No. 9711810155

यह कि M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08004/सी-1/सा0-1689/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 7,34,328/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 215/सी/एम-558/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है—

यह कि इकाई M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



24 JAN 2025

उक्त के साथ इकाई M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 94 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रु 7,34,328/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



24 JAN 2025

1492
1370

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.08.2024 को मैसर्स T.M.P. Café, प्लॉट नं० 3, सेक्टर-5, गतिनगर, गैजेट, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री जतिन चौहान, गैजेट की उपस्थिति में इकाई में विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने से सतत करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सख सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहेबाबाद को सौंपी गयी।




जिलाधिकारी

(SE)


EUDD-IV G2B



AGE, UPRC
G2B


20/8/24
AGE, UPRC
G2B




20/8/24



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1493
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 15695 /C-1/सा0-1691/निर्देश/2024

Date: 13.02.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s TMF Cafe,
Plot No.03, Sector-5,Rajendra Nagar, Sector 2&5,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02,
Ghaziabad.
Mob.No. 8920031147

यह कि M/s TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08006/सी-1/सा0-1691/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 12,10,860/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्स्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्स्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 223/आई-188/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोक जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, किमुति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 2720691, 2720626, 2720691, 2720681
फैक्स: 0522-2720784
ई-मेल: info@uppcb.com website: www.uppcb.com



ATTESTED
T.C-12, Sandeep Sharma
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 2720691, 2720626, 2720691, 2720681
(Sandeep Sharma)
Reg No. 1146/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

उक्त के साथ इकाई M/s. TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 155 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 12,10,860/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेकी राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 15817 / C-1/वायु/जी-724/का0ब0नो0/2024

Date: 1.6/18.24

सेवा में,

पंजीकृत/संशोधित पत्र

मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०),
बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद
(पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०),
सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम,
गाजियाबाद।
मो० नं०-

यह कि मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद जो कि एक व्यवसायिक गतिविधियां, मल्टी प्लैक्स, फूड कोर्ट एवं शॉपिंग माल से सम्बन्धित कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-290/2023 शुभम जाडिया बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को इकाई आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माया गया कि परियोजना इकाई को संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 29.08.2011 द्वारा सहमति जल एवं वायु वैधता अवधि दिनांक 31.12.2012 तक प्राप्त थी। वर्तमान में परियोजना को सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 454/एन०जी०टी०-176/2023 दिनांक 17.06.2023 एवं पत्र संख्या 948/एन०जी०टी०-176/ओ०ए० नं०-290/2023 दिनांक 06.09.2023 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर परियोजना द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

यह कि मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोक जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्या न इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।

.....2/-

टी०सी०-12वीं विमूक्ति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720431, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522-2720628, 2720691, 2720681
Fax: 0522-2720764
email: info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 186/98
NOTARY PUBLIC
Ghazalabad (U.P.)

24 JAN 2025

2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर दिनांक 05.10.2018 से दिनांक 04.10.2023 तक कुल 1826 डिफाल्टर दिवस हेतु रू० 2,85,31,250/- (रू० दो करोड़ पचासी लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयवाधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद 1497 के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक को मैसर्स ब्रारम. ब्रारम. का निरीक्षण किया गया।
प्लॉट नं- 01, अर्पला, मोहननगर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री दीपक शर्मा, मनीष की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।
(9971288034)

Anshul
(AEB)
UPPCB, G2B

Nehal
(AEE)
UPPCB, G2B

Anam
SDD
EUAD-10 436



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक: H/221/07 सी. 1/सा. 1580/क.पी. 2024

दिनांक: 8-1-25

M/s Garam Dharam,
Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar,
Ghaziabad

यह कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.पी.ओ. सा. 294/2023 प्रस्तुत पत्र व अन्य कानून 2010 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से बिना जल (जल वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिकोण M/s Garam Dharam, Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच/15823/सी. 1/सा. 1580/क.पी.ओ. 2024, दिनांक 19.08.2024 के अंतर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 गथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कानून बताने नोटिस जारी किया गया है जिसका पतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का नियंत्रण दिनांक 12.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री कुलदीप माटी, गाजिक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 को माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुरार इकाई रेस्टोरेंट है, जिसकी क्षमता 250 व्यक्तियों है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह ड्रु ड्रुप्ट और ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्प्रवाह को सीधे नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2158/सी/जी-429/2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 गथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कानून बताने नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Garam Dharam, Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 गथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के पत्रांक 2158/सी/जी-429/2024 के अंतर्गत जारी कानून बताने नोटिस जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Garam Dharam, Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad को अद्यतन पत्र के अंतर्गत संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Garam Dharam, Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad को मिलने वाली जल एवं वायु की अपेक्षा के अनुसार उद्योग से निस्तारित जल एवं वायु को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।



(Sandeep Sharma)
1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Garam Dharam, Plot No-01, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित ग इकाई-न ग नालीत सू.1 (EC-PIXNARSSXLF) के आधार पर रु. 7,812,50/-

सी.सी.-12बी., विपुली एम्.डी.,
गौमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com


24 JAN 2025

L.C.-12B, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Received
12/1/25

प्रदूषण को दूर रखने के लिए 30 दिन के लिए 2.81.250/- (रुपया दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिगणित किया जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिसूचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 2.81.250/- (दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment link यह URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सहाय अधिकारी के अनुमोदनोपरांत भेजना।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
9/1/25

परिचालित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. डिप्टी अधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिकारी अभियन्ता, विद्युत वितरण एवं परियोजनाएँ विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
3. मध्यप्रबंधक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, 30प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी का अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु बोर्ड अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
9/1/25



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1166/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025


1500

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ०ए०-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।


उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13-01-2025 को मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइज (होल्डिंग्स) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं 22, सेक्टर-3, बसंघरा, गाजियाबाद मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री सुरीश यादव प्रोटेक्ट 7009C15440 की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।


JE
13/01/25
EVDD0547B


Anshul
AEE, UPPCB,
G2B


AEE, UPPCB
G2B





ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक H/22402 सी. 1/सी. 1620/व.पी./2024

पंजीकृत
दिनांक 8-1-25

M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace),
Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara,
Ghaziabad.

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विद्यमान आ०/ए० सी०-294/2023 प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से बिना संचालन (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15830/सी०-1/सी०-1620/का०/व.पी./2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री सुशील यादव, प्रबन्धक की उपस्थिति में करते हुए आख्या नं० दिनांक 16.12.2024 में माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई रेस्टोरेंट एवं हाटल है जिसमें कुल 25 व्यक्तियों एवं 25 रुम की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है जिससे जल जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस०टी०पी० की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्प्रवाह का संचालन लाइन के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आदेश प्राप्त किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2156/सी. बो-337/2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF

के आधार पर रू0 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 33 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 2,57,812/- (रूपया दो लाख सत्तावन हजार आठ सौ बारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,57,812/- (रूपया दो लाख सत्तावन हजार आठ सौ बारह मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य सर्वोच्च कार्यालय गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनका निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विन्दु अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1503

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13-01-2025 को मैसर्स ~~ग्रीन रिजर्व सर्विस~~ एंड ~~दुकाबार~~ प्लॉट नं- 6-15, 3rd floor, RDC, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री ~~सैफुल्लाह मन्सूर~~ ~~द्वारा~~ ~~मैनेज~~ की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।


~~ग्रीन रिजर्व सर्विस~~
10/12/2024
LM
D10-I 62B





ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



पत्रांक

सी. 1- 210 1629 वरी 2024

दिनांक

M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar,
Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar,
Ghaziabad.

यह कि मां राष्ट्रीय नदियां अधिनियम, 1974 दिल्ली में विद्यमान आण्ड एम 294/2023 प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में यद्य बोर्ड में बिना पर्याप्त जल (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिकोण M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (जल/वायु) प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एम 294/2023 दिनांक 16.08.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एम 294/2023 के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस निगम किया गया है, जिसका प्रतिलिपि अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2023 के इकाई प्रतिनिधि श्री मनीष, पब्लिक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2023 के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई रेस्टोरेन्ट है, जिसकी क्षमता 50 व्यक्तियों की है। इस इकाई में प्रयोग धरेलू पयोखाना एवं लावा बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जलित कचरा बाहर निकालने के लिए एक ठोस को स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्पादक को सीधे पब्लिक सीवर लाइन के माध्यम से निष्कासित किया गया है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन बिना पर्याप्त जल (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2153/सी/जी-432 2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एम 294/2023 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एम 294/2023 के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1 यह कि M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
- 2 यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति का तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उपरोक्त अतिरिक्त उद्योग M/s Great Research Sevice & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगित गार्डजलेशन में बाधित सू. E.C. PKN&R&S&E।

सी.ओ. 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ- 226010
ई-मेल: info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

E.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

24 JAN 2025


के आधार पर रू0 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 35 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 2,73,420/ (रुपया दो लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,73,420/- (रुपया दो लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) की वसूली का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक गणना के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी सनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं नई मुख्यदफ्ता, बनारस का भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी के: अनुमोदनोपरान्त निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
9c

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नियंत्रण का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विभिन्न अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
9c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1506

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ०ए०-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13-01-2025 को मैसर्स श्रीकला ग्राम, खसरा नं - 162/3, गाँव-सिकन्दरपुर प्रोपैजिटिव डिपल्ट स्टेशन रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री हरजीत सिंह, मैनजर की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

Anshul
AEE, U.P.C.B,
GZB

(AEE)
U.P.C.B, GZB

Def
500KL
EUDD-IV GZB

V. K. Singh



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1507

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक 122404 / सी-1 / सा0-1608 / बन्दी / 2024पंजीकृत
दिनांक 8/1/25

M/s Gokul Dham,
Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad.

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रस्तुत पत्र व अन्य बानाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15826/सी0-1/सा0-1608/का0ब0नो0/2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री सतपाल, प्रबन्धक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 300 व्यक्तियों की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एंड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्प्रवाह को सीधे नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2151/सी/जी-430/2024, दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PlxNxRxSxLF)

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

Received
19/1/25

Harshit Singh
Manager
8130937160

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

24 JAN 2025

के आधार पर ₹0 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु ₹0 2,18,750/- (रुपया दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹0 2,18,750/- (रुपया दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का माध्यम से कार्यालय गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
 १२ ५

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर को अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई में निम्न अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
 १२ ५



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
 Reg. No. 1136/98
 NOTARY PUBLIC
 Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1509

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13-01-2025 को मैसर्स पालकी फार्म, खसरा नं 317, गांव - सिक्करपुर, औद्योगिक डिपेंडन स्कीम का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री यु.ए.ए. मैनैज 9354154362 की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

[Signature]
MEE
UPPCR, GZB

[Signature]
(MEE)
UPPCR, GZB

[Signature]
SDD ML
EUDD-IV GZB.

[Signature]
J
Janyy



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chazlabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक 1122/100 / सी 1 / मां 1000 / व-डी / 2024

दिनांक 8/25

M/s Palki Farms,
Khasra No. 317, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad
State No. 9818219945

यह कि मां राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली व विचारणीय आयोग मां 2194/2024 द्वारा जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुक्रम संक्रम अधिकारी के अधीन (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिकोण M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village-Sikandarpur Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक 1122/100 / सी 1 / मां 1000 / व-डी / 2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिबन्धन अभी तक अग्रस्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.12.2024 को करते हुए आख्या पत्र दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय का प्रेषित आख्या पत्र संख्या 1122/100 / सी 1 / मां 1000 / व-डी / 2024 आख्यानसार इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 400 व्यक्तियों की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/फ्लशिंग टैंक का प्रयोग किया गया तथा उत्प्रवाह को सीधे नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2190 / सी / मां-403 / 2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 19.12.2024 अनुक्रम संक्रम अधिकारी के अनुमति से M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का प्रयोग प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को बन्द करने वाली राज्य धुनियाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।



ATTESTED
Sandeep Sharma
Reg. No. 1138/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

उपरोक्त अतिरिक्त उद्योग M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत माइडलाइन में वर्णित सूत्र (T.C.-PIS&R&S&M.E)

टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

प्रमुख अधिकारी

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

24 JAN 2025

के आधार पर रू0 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 2,18,750/- (कमया दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराहित किया जाता है एवं निर्दिष्ट किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिराहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,18,750/- (कमया दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का माध्यम करीब तुरंत गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
१६/१

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
१६/१



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1512

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक को मैसर्स प्रत प्रति.....

ग्राम-सिकन्दरपुर, गौपुरा, निकट हिन्दू अस्पताल गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।

मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री प्रकाश, चौकीदार.....की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

Amz
ARE, U.P. Ch,
GWB

Mohit
(ARE)
UPP (D, 47D)

ref
500M
E000-IV G2B

Sharma



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazlabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक 1/22/10 सी 1 सी 100 1651/वकी/2024

दिनांक 8/1/25

M/s Brij Bhoomi,
Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport,
Ghaziabad.

यह कि माओ राष्ट्रीय हरित अभियान, नई दिल्ली में विचारणीय आदेश सी 204/2023 प्रयुक्त करने के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य वाई ए बिना पर्याप्त (जल वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिकोण M/s Brij Bhoomi, Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15825/सी0-1/सी0-1651/क1000-10/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस निम्नलिखित कारणों से अमान्य है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री राजू वर्मा, प्रबंधक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 500 व्यक्तिव्यक्ति की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनिता उत्पन्न होने वाले कचरे को आसल एवं ग्रीस ट्रेप/एस०टी०पी० की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्पन्न कचरे को सीधे नाले में माध्यम से निष्काशन किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य वाई ए से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2150/सी/की-340/2024, दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Brij Bhoomi, Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Brij Bhoomi, Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Brij Bhoomi, Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Brij Bhoomi, Village-Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के आधार

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppecb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

इकाई

12-1-25

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppecb.com
Web Site: www.uppcb.com



24 JAN 2025

7303496773

7303496773


पर रू0 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 2,42,172/- (रूपया दो लाख बयालिस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,42,172/- (रूपया दो लाख बयालिस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भेज पेशित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के: अनुमोदनोपरान्त निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1




ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazlabad (U.P.)

24 JAN 2025

1515

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ०ए०-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13-01-2025 को मैसर्स लोहा कार्म, गाँव - सिकन्दरपुर, भोपरा निकल रोड स्यूरिटी गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री राजनीश कुमार, मोबा. 9871303890 की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

[Signature]
AEC, U.P. Ch,
G2B

[Signature]
(AEC)
U.P. Ch, G2B

[Signature]
SOOKL
EU00-11/2025

[Signature]



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक 122405 / सी-1/300-1585/बन्दी/2024

दिनांक 8-1-25

M/s Lotus Farms,
Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport,
Ghaziabad

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विद्यमान आ0ए0 मा0-294/2023 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Lotus Farms, Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15827/सी0-1/300-1585/का0294मा0/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री रजनीश शुक्ला, मालिक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 19.12.2024 में माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई एक मैरिज हॉल है, जिसकी क्षमता 300 व्यक्ति तक है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जलिन उत्सर्जन हेतु ड्रैप में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी तथा उत्सर्जन को सीधे नाल के माध्यम से निम्नलिखित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2152/सी/एल-143/2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 में अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Lotus Farms, Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है:-

1. यह कि M/s Lotus Farms, Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport, Ghaziabad में औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Lotus Farms, Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport, Ghaziabad को मिलान जल से विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Lotus Farms, Village-Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के आधार

24 JAN 2025

9871303880

1518

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 15-01-2025 को मैसर्स स्पाईस गार्डन रेस्टोरेंट & कैफे टाल की स्मूथ फ्रूड पोलिस स्टेशन के सामने, रेलवे रोड मीदिनागर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री रंजित मेहता, (9557330666) की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

Anshul
15/01/2025
AEE, UPPCB,
GZB

Sandeep
15/01/2025
AEE, UPPCB
GZB

W
15/1/25
NT,
Teh-Modinagar

Atul (CLIM)
लाइनमन
DIV-III Modinagar
modinagar



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazilabad (U.P.)

24 JAN 2025



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक H/22405 / सी-1 / सा0-1597 / बन्दी / 2024

पंजीकृत दिनांक 8-1-25

M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall,
V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar,
Ghaziabad.
Mob. No.-955733066

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन् व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15835/सी0-1/सा0-1597/का0ब0नो0/2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 10.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री हिमांशु, प्रबन्धक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई रेस्टोरेंट एवं बैंकट हॉल है, जिसकी बनना 295 वर्गमीटर की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनित उत्स्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्स्रवाह को सीधे पब्लिक सोरड क माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2154/सी एल-1443 2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति को गये है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad, की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad को मिलने वाली



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad, (U.P.)

24 JAN 2025

SANDEEP
S.K.D.
14/01/25
9557330666

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 2350/एनजीटी/ओ0ए0-294/2023/2025 दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 24.01.25 को मैसर्स मंगलक वीएलएल एलएल - D10 गेजेट 10 एनएल का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री अमित शर्मा की उपस्थिति में इकाई का विद्युत विच्छेदन करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा बन्दी आदेश की छायाप्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

Amish
AEE, UPPCB
GZB

(Signature)
24/01/2025
NT

Bush S.
24/01/25
(प्रदीप कुमार शर्मा)
भागा- 2-51324
गा०बा०

(Signature)
5215



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1522

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक / 22833 / सी-1 / सा0-1658 / बन्दी / 2024

पंजीकृत
दिनांक 17/1/25

M/s Mangalam Banquet Hall,
Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara,
Ghaziabad.

मो-98-9118221012

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से विना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15839/सी0-1/सा0-1658/का0ब0नो0/2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 50 व्यक्तियों की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्प्रवाह को सीधे पब्लिक सीवर लाईन के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये विना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2159/सी/एम-555/2024, दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PlxNxRxSxLF) के आधार

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

24 JAN 2025

पर रू0 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 22 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 1,71,864/- (रुपया दो एक लाख इकहत्तर हजार आठ सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,71,864/- (रुपया दो एक लाख इकहत्तर हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

[Signature]
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

[Signature]
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

1525



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : 122776 / सी-1 / सा0-1635 / बन्दी / 2024

दिनांक 16/12/24

M/s Signature Farms,
Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad.

9971831151

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालन किये जाने के दृष्टिगत M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15819/सी0-1/सा0-1635/का0ब0नो0/2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री अजय, प्रबन्धक की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 500 व्यक्तियों की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं खाना बनाने हेतु किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं पायी गयी तथा उत्प्रवाह को सीधे नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2151/सी/जी-1453/2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 16.12.2024 के अनुक्रम सक्षम अधिकारी के अनुमति से M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSLF)

टी.सी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com



ATTESTED


(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

Scanned with OKEN Scanner


के आधार पर रू0 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 2,42,172/- (रूपया दो लाख बयालिस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,42,172/- (रूपया दो लाख बयालिस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें एवं इकाई के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्र साक्ष्यों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक20-08-2024... को मैसर्स रायल इन्टरप्राइजेज FF-3, प्लॉट नं- 4, अर्चना अपार्टमेंट, नवीन रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विजय, सर्विस इकाई की उपस्थिति में इकाई में 02 DG (कमरा 62.5 KVA व 125 KVA) को सील कर एवं विद्युत संयोजन को विद्युत से सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना गाजियाबाद को सौंपी गयी।

विजय
20/8/24
सर्विस इकाई

Arshad
20/8/24
AEE, UPPLB
GEB

Pratik
20/8/24
AEE, UPPLB
GEB

Ch
JE (D)
Mohammad

Arvind

MA
20/8/24



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



1528

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 4/2693 / C-1 / सा0-1666 / बन्दी निर्देश / 2024Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Royal Enterprises,
FF3, Plot No. 04, Archana Apartment,
Naveen Road, Bhopura,
Ghaziabad.
Mob. 9953844238

यह कि M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07981/सी-1/सा0-1666/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 22,34,232/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 227/सी/आर-508/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

उक्त के साथ इकाई M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 286 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 22,34,232/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/Uppcb) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

1530

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक

422935 / सी0-1 / सा0-1656 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक 20/12/25
Regd.

M/s Hotel SOHO (Old Name- Vizima Hospitality LLP),
RC-74, Khora Colony,
Ghaziabad.

यह कि M/s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्पन्न के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2394/सी/वी-260/2023 दिनांक 22.02.2024 एवं पत्रांक 2195/वी-260/2024 दिनांक 21.12.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Hotel SOHO, RC-74, Khora Colony, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 35 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,73,420/- (रू0 दो लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

AM

(ए0 के0 आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

AM

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113E/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



1532
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- **1415840/C-1/सा0-1652 / का0ब0न0/2024**

Date: **...1.1.18/2024**

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Party Shine,
 Village-Sikandarpur, Hindon Civil,
 Ghaziabad.
 Mob. No.

यह कि M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2154/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा वर्तमान तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

ATTESTED

....2/-

टी0सी0-12वीं, किर्लोस्कर
 गोमतीनगर, लखनऊ-226010
 दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661
 फ़ैक्स : 0522-2720764
 ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com



T-12, Vibhuti Khand,
 Gomti Nagar, Lucknow-226010
 Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661
 Fax : 0522-2720764
 E-mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com
 (Sandeep Sharma)
 Reg. No. 146/98
 NOTARY PUBLIC
 Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू 2,42,172/- (रू 2 लाख बयालीस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1


olc

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

olc



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

Item No. 13

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Appeal No. 44/2024
(I.A. Nos. 541/2024 & 540/2024)

M/s Swaad-E-Punjab

Appellant

Verses

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 10.12.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Appellant: Mr. Anurag Tripathi, Adv. for Appellant (Through VC)


Respondents: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon & Ms. Gargi Chaturvedi, Advs. for UPPCB
Ms. Priyanka Swami, Adv. for the State of Uttar Pradesh (Through VC)

ORDER

1. This Appeal under Section 18(1) read with Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 and Rule 8 of the NGT (Practice and Procedure) Rules, 2011 has been filed against the order dated 13.08.2024 passed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) issuing a direction under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Water Act, 1974) for disconnecting the electricity and water of the Appellant unit and further imposing the environmental compensation of Rs. 27,88,884/-.

2. There is a delay of about 30 days in filing the appeal. IA No. 541/2024 has been filed by the Appellant seeking condonation of delay in filing the appeal. A reply to this IA has been filed by the Respondent.

3. Having heard learned Counsel for the parties on the application for condonation of delay, it is noticed that the impugned order was passed on



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghazalabad (U.P.)

1

24 JAN 2025

13.08.2024. The stand of Counsel for the Appellant is that a copy thereof was received on 15.08.2024, and the present appeal was filed on 18.10.2024 with a delay of about 30 days.

4. The Appellant had initially filed Writ C No. 30814/2024 before the High Court of Judicature at Allahabad against the impugned order, and by order dated 21.09.2024, the Appellant instead of pressing the writ petition had sought liberty to invoke remedy as contemplated under law. Hence, the petition was dismissed as not pressed with the liberty prayed by the Appellant.

5. The application for condonation of delay reveals that some delay was caused because the Appellant was not aware of the procedure, and he had spent some time gathering the information and collecting the resources for filing the present appeal.

6. Under section 16 of the NGT Act after the initial period of 30 days for filing the appeal, NGT has the power to condone the delay up to 60 if sufficient cause is shown. The delay in the present case is within the condonable period of 60 days. Even otherwise, while considering the application for condonation of delay, a liberal approach is required to be adopted. Hence, in the circumstances of the case, we are of the view that the delay has been properly explained, and the Appellant was prevented from filing the appeal within time on account of *bonafide* reason. Hence, IA No. 541/2024 is allowed and delay in filing the appeal is condoned.

7. With consent the appeal is heard on merit.

8. Though various grounds have been raised by the Appellant challenging the impugned order, the Appellant has pressed the ground



ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1138/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

that the order under appeal has been filed without giving proper opportunity of hearing.

9. The impugned order states that the show cause notice dated 06.03.2024 was issued to the Appellant but no reply to the show cause notice was filed. Show cause notice dated 06.03.2024 was issued in the name of M/s. Happy Punjab, whereas the impugned order dated 13.08.2024 has been passed as against M/s. Swaad-E-Punjab (old name Happy Punjab). Counsel for the Appellant has pointed out that earlier, the Restaurant was being run by the partnership firm of Manoj Kumar, Sameer and Mandeep Singh and by the agreement dated 04.05.2024, the Appellant herein Hemant Kumar Bharti had purchased the said Restaurant. It has been stated that after the purchase the new management has changed the name.

10. The new owner and management of the restaurant has not been given the opportunity of hearing. The previous owner and management may not be interested in contesting the issue once they had sold the restaurant, which is clear from the fact that in pursuance to the earlier show cause notice, which was served upon the old management, no response was filed.

11. Rule 34 of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975** clearly provide as under:



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

“34. [Directions.-(1) Any direction issued under section 33-A shall be in writing.

(2) *The direction shall specify the nature of action to be taken and the time within which it shall be complied with by the person, officer or the authority to whom such direction is given.*

(3) *The person, officer or authority to whom any direction is sought to be issued shall be served with a copy of the proposed direction and shall be given an opportunity of not less than fifteen days from the date of service of a notice to file with an officer*

designated in this behalf the objections, if any, to the issue of the proposed direction.

(4) Where the proposed direction is for the stoppage or regulation of electricity or water or any other services affecting the carrying on of any industry, operation or process and is sought to be issued to an officer or an authority, a copy of the proposed direction shall also be endorsed to the occupier of the industry, operation or process, as the case may be, and objections, if any, filed by the occupier with an officer designated in this behalf shall be dealt with in accordance with the procedures under sub-rules (3) and (5) of this rule:

Provided that no opportunity of being heard shall be given to the occupier, if he had already been heard earlier and the proposed direction referred to in sub-rule (3) above for the stoppage or regulation of electricity or water or any other service was the resultant decision of the Central Board after such earlier hearing.

(5) The Central Board shall within a period of 45 days from the date of receipt of the objections, if any, or from the date up to which an opportunity is given to the person, officer or authority to file objections whichever is earlier, after considering the objections, if any, received from the person, officer or authority sought to be directed and for reasons to be recorded in writing, confirm, modify or decide not to issue the proposed direction.

(6) In a case where the Central Board is of the opinion that in view of the likelihood of a grave injury to the environment it is not expedient to provide an opportunity to file objections against the proposed direction, it may, for reasons to be recorded in writing, issue directions without providing such an opportunity.

(7) Every notice or direction required to be issued under this rule shall be deemed to be duly served,-

(a) Where the person to be served is a company, if the document is addressed in the name of the company at its registered office or at its principal office or place of business and is either-(i) sent by registered post; or (ii) delivered at its registered office or at the principal office or place of business;

(b) Where the person to be served is an officer serving Government, if the document is addressed to the person and a copy thereof is endorsed to his Head of the Department and also to the Secretary to the Government, as the case may be, in charge of the Department in which for the time being the business relating to the Department in which the officer is employed is transacted and is either-

(i) sent by registered post, or

(ii) is given or tendered to him;

(c) In any other case, if the document is addressed to the person to be served and-

(i) is given or tendered to him, or



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1081/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

- (ii) *if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building, if any, to which it relates, or*
- (iii) *is sent by registered post to that person.*

Explanation.-For the purposes of this sub-rule-

- (a) *"company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;*
- (b) *"a servant" is not a member of the family.]"*

12. In the present case, though the order has been passed under section 33A of the Act, no proper opportunity of hearing has been given in terms of the above rule. The above rule has been violated, and the due opportunity as contemplated has not been given to the Appellant herein, who has to face the consequences of the impugned order. There is clear violation of the principles of natural justice.

13. Hence, we set aside the impugned order dated 13.08.2024 and permit the Respondent to serve upon the Appellant (if needed to the previous owner/management also) the show cause notice within 15 days, and the Appellant will have an opportunity to file the response to the said show cause notice within 15 days of service of notice and, thereafter, it will be open to the Respondent to pass appropriate final order preferably within four weeks.

14. The Appeal is accordingly disposed of.



ATTESTED
 (Sandeep Sharma)
 Reg. No. 1136/98
 NOTARY PUBLIC
 Ghaziabad (U.P.)

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 10, 2024
Appeal No. 44/2024
(I.A. Nos. 541/2024 & 540/2024)
dv..



ATTESTED

(Sanderp Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)

24 JAN 2025



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2179/ए/11-260/2024

दिनांक 13/12/2024

पंजीकृत

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 44/2024 (I.A. Nos. 541/2024 & 540/2024) M/s Swaad-E-Punjab Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 44/2024 (I.A. Nos. 541/2024 & 540/2024) M/s Swaad-E-Punjab Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के मुख्य अंश निम्नवत है:-

12. In the present case, though the order has been passed under section 33A of the Act, no proper opportunity of hearing has been given in terms of the above rule. The above rule has been violated, and the due opportunity as contemplated has not been given to the Appellant herein, who has to face the consequences of the impugned order. There is clear violation of the principles of natural justice.

13. Hence, we set aside the impugned order dated 13.08.2024 and permit the Respondent to serve upon the Appellant (if needed to the previous owner/management also) the show cause notice within 15 days, and the Appellant will have an opportunity to file the response to the said show cause notice within 15 days of service of notice and, thereafter, it will be open to the Respondent to pass appropriate final order preferably within four weeks.

14. The Appeal is accordingly disposed of.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के बिन्दु संख्या-13 के सम्बन्ध में विधि अनुभाग से अभिमत प्राप्त कर प्रश्नगत इकाई मैसर्स स्वाद-ए-पंजाव (पूर्व नाम हैप्पी पंजाव), प्लॉट संख्या-7, सेक्टर-5, राजेन्द्र नगर, थाना-साहिबाबाद गाजियाबाद के विरुद्ध आवश्यक निर्देश/कारण बताओं नोटिस बोर्ड मुख्यालय स्तर से जारी किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1138/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

प्रतिलिपि:

विधि अधिकारी-प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

24 JAN 2025

भूषदीय
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद। दूरभाष-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H-22897 / सी0-1 / एनजीटी-288 / का0बा0नो0 / 2025

दिनांक: 17/01/2025
Regd.

M/s Swaad-E-Punjab,
Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar,
Thana-Sahibabad, Ghaziabad.
(फोन- 9810788510)

यह कि M/s Swaad-E-Punjab, Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar, Thana-Sahibabad, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील नं0-44/2024 (I.A. Nos. 541/2024 & 540/2024) M/S Swaad-E-Punjab Vs. State of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

".....12. In the present case, though the order has been passed under section 33A of the Act, no proper opportunity of hearing has been given in terms of the above rule has been violated, and the due opportunity as contemplated has not been given to the Appellant herein, who has to face the consequences of the impugned order. There is clear violation of the principles of natural justice.

13. Hence, we set aside the impugned order dated 13.08.2024 and permit the Respondent to serve upon the Appellant (if needed to the previous owner/management also) the show cause notice within 15 days, and the Appellant will have an opportunity to file the response to the said show cause notice within 15 days of service of notice and, thereafter, it will be open to the Respondent to pass appropriate final order preferably within four weeks.

14. The Appeal is accordingly disposed of....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2179/सी/एच-260/2024, दिनांक 18-12.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों के स्पष्ट उल्लंघन के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने हेतु कहा गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2095/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

24 JAN 2025

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Swaad-E-Punjab, Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar, Thana-Sahibabad, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Swaad-E-Punjab, Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar, Thana-Sahibabad, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. क्यों न इकाई M/s Swaad-E-Punjab, Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar, Thana-Sahibabad, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स के आधार पर इकाई द्वारा अनुपालन किए जाने की अवधि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Swaad-E-Punjab, Plot No. 7, Sector-5, Rajendra Nagar, Thana-Sahibabad, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(ए0 के0 आनन्द)

पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 113/1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी वृत्त-1

24 JAN 2025

Court No. - 2

Case :- WRIT - C No. - 7543 of 2024

Petitioner :- M/S Pind Balluchi (Unit Of Excellence Hospitality) Thru.
Partner Smarthy Sindhu And Monu Mishra

Respondent :- State Of U.P., Thru. Prin. Secy., Forest, Environment And
Climate Change And Others

Counsel for Petitioner :- Jalaj Kumar Gupta, Mehdi Khan, Mohd. Aslam
Khan

Counsel for Respondent :- C.S.C., Asit Srivastava, Chandra Shekher
Pandey

Hon'ble Rajan Roy, J.

Hon'ble Om Prakash Shukla, J.

1. Heard.

2. The parties are ad-idem that this case is similar to Writ-C No.4816 of 2024 [Suez India Pvt. Ltd. vs. U.P. Pollution Control Board & Ors.] wherein an interim order has been passed on 29.05.2024 in the following terms:-

"1. Heard Shri Jaideep Narain Mathur, learned Senior Advocate assisted by Ms. Aprajita Bansal, learned Counsel for the petitioner, Shri Asit Srivastava, learned Counsel for the opposite party no.1, Shri Rishabh Kapoor, learned Counsel for the opposite party no.2, Shri Namit Sharma, learned Counsel for the opposite party no.3 and learned Standing Counsel for the State.

2. The issue involves in these proceedings is as to whether U.P. Pollution Control Board has statutory authority to award Environmental Compensation and make the petitioner liable for the same, that too without any opportunity of hearing.

3. Learned Senior Counsel for the petitioner relies upon a judgment reported in 2022 SCC OnLine SC 120 : Kantha Vibhag Yuva Koli Samaj Parivartan Trust and others Vs. State of Gujarat and others, wherein it has been held that such power vests in the National Green Tribunal, which cannot be abdicated or delegated to any administrative expert committee. The ratio of the decision according to the learned Senior Counsel appearing for the petitioners is that such adjudicatory power referable to Sections 14, 15, 16 and 17 of National Green Tribunal Act, 2010 cannot be delegated or abdicated to the U.P. Pollution Control Board nor can the U.P. Pollution Control Board usurp such power which vests statutorily in the Tribunal constituted under the National Green Tribunal Act, 2010.

4. Counsel for the Board says that in fact a direction had come from the Central Pollution Control Board with reference to O.A. No. 593 of 2017 (W.P. (civil) No. 375 of 2012, Paryavaran Suraksha Samiti and another Vs. Union of India and others), wherein National Green Tribunal directed the Central Pollution Control Board (CPCB) to take penal action for failure against those accountable for setting up and maintaining Sewage Treatment Plants (STPs), Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and Effluent Treatment Plants (ETPs), in pursuance of which CPCB has prepared a 'Methodology' for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the fund. CPCB has started levying Environmental Compensation against defaulting industries including Common Bio-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1188/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

24 JAN 2025

Medical Waste Treatment Facilities Methodology developed or calculating Environmental Compensation enclosed for ready reference, however, we do not find any such authorization by CPCB to the U.P. Pollution Control Board in this regard for levying Environmental Compensation.

5. Moreover, the issue is under what authority of law it is permissible specially in view of the decision of the Supreme Court as referred hereinabove, which is subsequent to the aforesaid letter and the directions, if any, of the National Green Tribunal dated 28th August, 2019 issued in O.A. No. 593 of 2017.

6. It is an issue to be considered as to how far directions issued in the aforesaid case on 28th August, 2019 would apply in view of the subsequent decision in the case of Kanta Vibhag Yuva Koli Samaj Parivartan Trust (supra). Moreover directions do not contain any specific order empowering the CPCB or U.P. Pollution Control Board for levying Environmental Compensation although it does speak of remedial action. Even if it did, the question is how far it is applicable now in view of the subsequent decision of the Supreme Court.

7. Apart from the above, it is the case of the petitioner that in fact it is only the Operator of the Sewage Treatment Plants, which in fact belongs to the U.P. Jal Nigam represented by Shri Rishabh Kapoor, Advocate and Environmental Compensation, if any, would be leviable against the U.P. Jal Nigam.

8. Let pleadings be exchanged by the parties.

9. List in the 3rd week of July, 2024.

10. In the meantime, action by which the U.P. Pollution Control Board has levied Environmental Compensation on the petitioner shall remain in abeyance, however, without prejudice to the National Green Tribunal to take such action as may be permissible in law or any other authority also to take such action as may be permissible in law in respect of the subject matter in issue. "

3. Connect and list along with Writ-C No.4816 of 2024 [Suez India Pvt. Ltd. vs. U.P. Pollution Control Board & Ors.]. The benefit of interim order passed in the said case shall be available in this case also so far as environmental compensation is concerned, on the same terms.

4. Let pleadings be exchanged between the parties within eight weeks.

5. List thereafter.

(Om Prakash Shulda,J.) (Rajan Roy,J.)

Order Date :- 3.9.2024/Shanu/-



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



1545
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure A/9

Ref No- H22896 / C-1 / सा0-1669 / बन्दी निर्देश-निक्षेप / 2024

पंजीकृत
Date: 17/01/2025

सेवा में,
M/S Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality),
Shop No. 303, in Panchsheel Square, At Plot No.C-3,
Crossing Republic, Village Dundahera, Ghaziabad

विषय:-उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी निर्देश दिनांक 13.08.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 15688/सी-1/सा0-1669/बन्दी निर्देश/2024, दिनांक 13.08.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किया गया था, जिसके कम में इकाई द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त बन्दी निर्देश के अनुक्रम में इकाई के पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट-सी संख्या-7543/2024 M/S Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality) Vs State of U.P. Thru. Prin.Secy. Forest, Environment and Climate Change and Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 13.08.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,42,64,712/- पर स्टे आर्डर पारित किया गया है उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई को जारी बन्दी निर्देश दिनांक 13.08.2024 को निम्नानुसार सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की गयी है:-

- इकाई के विरुद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट-सी संख्या-7543/2024 M/S Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality) Vs State of U.P. Thru. Prin.Secy. Forest, Environment and Climate Change and Ors. में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- इकाई द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- इकाई के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(ए0 के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी, वृत्त-1

24 JAN 2025